अंक २

संख्या १७

बृहस्पतिवार

३१ जुलाई, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३५८३—३६२०]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ३६२१—३६४२]

(मूल्य ४ आने)

493 PSD

लोक सभा

बृहस्पतिवार, ३१ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रियास्ती सेनाओं का एकीकरण

*२३५९. **सरदार हुक्म सिंह :** **रक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान, पैप्सू, मध्य भारत तथा सौराष्ट्र की सभी रियासती सैनाओं का भारतीय सैना के साथ एकीकरण किया गया था ?

(ख) यदि नहीं तो रियासती सेनाओं के कितने सैनिकों को अस्वीकृत कर दिया गया था ?

(ग) इनमे से कितने सैनिक दूसरी सेवाओं में ले लिये गये थे ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : राजस्थान, पैप्सू, मध्य भारत तथा सौराष्ट्र की रियासती सेनाओं की वह टुकड़ियां जिनके एकीकरण को भारत की रक्षा के विचार से आवश्यक समझा गया, भारतीय के साथ मिला दी गई थी। तथापि उन सारे सैनिकों को जिन्होंने भारतीय सैना में काम करने की इच्छा प्रकट की थी, अच्छी प्रकार से देख लिया गया था तथा योग्य समझे गये व्यक्तियों

को भारतीय सेना की उन्हीं अथवा दूसरी टुकड़ियों में ले लिया गया था ?

(ख) १३,६०१ सैनिक नहीं लिए गए।

(ग) जहां तक उपलब्ध सूचना से पता चलता है, ६२९१।

सरदार हुक्म सिंह : भारतीय सेना में इन सैनिकों को लेते समय सेवा-वृष्टिता कैसे निश्चित की गई थी ?

श्री गोपालस्वामी : यदि माननीय सदस्य के प्रश्न का निर्देश अधिकारी-वर्ग की ओर है तो मैं ऐसा समझता हूं कि उस समिति ने, जो इन अधिकारियों के मामलों की जांच के लिये बनाई गई थी जिन्होंने कि अपनी इच्छा से भारतीय सेना में भर्ती होना चाहा था, उनकी पहली सेवा के वृत्तान्त तथा अन्य विचारनीय बातों को सामने रखते हुए इनके वेतन आदि निश्चित कर दिये गए थे।

सेठ गोविन्द दास : क्या उनमें से किन्हीं अधिकारियों को विभिन्न राज्यों के 'होम गार्डस' में भी भर्ती किया गया था ?

श्री गोपालस्वामी : लगभग ५५५३ व्यक्तियों को विभिन्न राज्यों की पुलिस, होम गार्डस आदि में ले लिया गया था।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन व्यक्तियों को भूमि पर बसाने तथा यातायात की सहकारी संस्थाओं में नौकरी दिलाने के अतिरिक्त इन

में से किन्हीं व्यक्तियों को भारतीय सेना में आसामियों के खाली होने पर अथवा नई सेनाओं के भर्त्ती करते समय लिया गया था?

श्री गोपालस्वामी : नहीं, श्रीमान्, मैं इस बारे मे सूचना नहीं दे सकता कि क्या भूमि पर बसाए गये व्यक्तियों को फिर से सेना में ले लिया गया था या नहीं।

सरदार हुक्म सिंह : श्रीमान्, मेरा प्रश्न यह था कि भूमि तथा यातायात की सहकारी संस्थाओं में काम पर लगाए गये व्यक्तियों के अतिरिक्त रियासती सेनाओं में से निकाले गए किन्हीं व्यक्तियों को नई भर्ती करते समय नियुक्त किया गया था ?

श्री गोपालस्वामी : श्रीमान्, मैं पहले ही उत्तर में बतला चुका हूं कि सभी सैनिकों को, चाहे वे अधिकारी हो अथवा साधारण सैनिक, अच्छी प्रकार से देखने के बाद सेना में ले लिया गया था।

सरदार हुक्म सिंह : शायद में स्पष्ट रूप से प्रश्न नहीं कर सका हूं। निस्सन्देह ऐसे कुछ सैनिकों को एकीकरण के समय भारतीय सेना में लिया गया था, परन्तु अब जब कि हम अधिक तथा नई सैनाओं को भर्ती करना चाहते हैं क्या इन लोगों के दावों पर वरीयता से विचार किया जायगा तथा क्या नये सैनिकों की आवश्यकता के समय ये लोग भारतीय सेना में नियुक्त किए जाने के पात्र समझे जायेंगे ?

श्री गोपालस्वामी : जैसा कि मैं ने कहा सब से पहिले प्रत्येक सैनिक के बारे में जांच पड़ताल की गई थी तथा उन्हें योग्यता आदि के आधार पर नहीं लिया गया था, परन्तु यदि नई सैनाओं के बनाते समय वे अपने दावों को जतला सके तो उनके मामलों पर निश्चय ही विचार किया जायगा।

सैनिकों के परिवारों के लिये निवास स्थान

*२३६०. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या रक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन १९५१-५२ में सैनिकों के परिवारों के लिये कोई नए निवास-स्थान, सेना के प्रशिक्षण सम्बन्धी स्थापनाएं अथवा कीमती फ़ौजी सामान के लिये नए गोदाम आदि बनाए गयें है; तथा

(ख) यदि हां तो इन इमारितों पर कुल कितना खर्च किया गया था ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) ब्योरेवार जानकारी इस प्रकार से है:

	१९५१-५२ में व्यय रु०
(१) ओ० आर० तथा एन० सी० ओ० सेना के विवाहित अधिकारियों के लिए निवास-स्थान	६.६८ लाख
(२) सेना के लिये प्रशिक्षण स्थापनाएं ; तथा	१२३.९७ ,,
(३) कीमती फ़ौजी सामान के रखने के लिये गोदाम आदि	११.३५ ,,

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सत्य है कि बहुत सी फ़ौजी टुकड़ियां अभी तक काम चलाऊ बनावट खैमो में रहती हैं ?

श्री गोपालस्वामी : काफ़ी संख्या कैम्पों में रहती है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या ऐसा कोई कार्यक्रम या समय निश्चित किया गया है जिसमें हमारी सरकार इन व्यक्तियों के लिये उपयुक्त निवास-स्थान की व्यवस्था कर सकेगी ?

श्री गोपालस्वामी : श्रीमान् यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रथम तो, हमें यह फ़ैसला करना है कि स्थायी भारतीय सेना की संख्या लगभग क्या होगी निश्चय ही इस समय की संख्या स्थायी संख्या से बहुत अधिक है निश्चय ही हम उन व्यक्तियों के लिये निवास-स्थान की व्यवस्था करने का विचार कर रहे हैं जो हमारी सेना के अंग होंगे।

सरदार हुक्म सिंह : क्या आगामी पंच वर्षीय योजना में ऐसे सैनिकों के परिवारों के लिये निवास-स्थान की व्यवस्था करने का कोई कार्य क्रम रखा गया है ?

श्री गोपालस्वामी : प्रत्येक वर्ष हम पहले से बने गए निवास-स्थान में वृद्धि करते जा रहे हैं ।

श्री सी० डी० पांडे : क्या यह सत्य है कि नैनीताल तथा रानीखेत में ऐसी बैरकें बहुत बड़ी संख्या में पड़ी हैं जो बड़ी देर से खाली पड़ी हैं परन्तु जिन्हें प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है ?

श्री गोपालस्वामी : मैं समझता हूं कि कुछ बैरकें खाली पड़ी हैं।

श्री बंसल : सरकार उन्हें किस काम में लाने का विचार कर रही है ?

श्री गोपालस्वामी : हम उन्हें स्थाई रूप से नहीं बेच सकते कारण यह कि इस अवसर पर हमारे लिए यह कहना कठिन है कि आया कैम्पों में रहने वाले सैनिकों के लिये उनकी आवश्यकता पड़ेगी या नहीं। उन्हें स्थाई निवास-स्थानों को भेजते समय उन बैरकों की आवश्यकता हो सकती है अतएव हम उन्हें स्थाई रूप से नहीं बेच सकते ।

अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं

*२३६१. **सेठ गोविन्द दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये और संस्थाएं खोलने का विचार किया जा रहा है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निकट भविष्य में बहुत से अध्यापकों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना होगा क्या एक अल्पकालिक किन्तु अच्छी प्रकार के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम को आरम्भ किया जायगा ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : यह ऐसे मामले हैं जिन का सम्बन्ध दिल्ली राज्य सरकार से है।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक कोर्स (course) का सम्बन्ध है जिस में उनको शिक्षा मिलेगी, क्या दिल्ली को सरकार ने अब तक जिस ढंग से उन को पढ़ाया जाता था उस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कुछ पूछा है ?

श्री के० डी० मालवीय : दिल्ली सरकार केन्द्रीय सरकार से कुछ सहायता तो चाहती है मगर योजनाओं के सम्बन्ध में तो कुछ बातचीत नहीं हुई।

सेठ गोविन्द दास : किस प्रकार की सहायता दिल्ली सरकार केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में चाहती है।

श्री के० डी० मालवीय : पिछली छुट्टियों में दिल्ली सरकार ने हम से कहा था कि कुछ ऐसे स्कूल चालू किये जायें ताकि ट्रेनिंग के सम्बन्ध में अधिक संख्या में शिक्षकों को शिक्षित किया जा सके। तो हम ने गर्मियों में कुछ स्कूल खोल भी दिये थे ताकि शिक्षकों को शिक्षा मिल जाय।

सेठ गोविन्द दास : जो स्कूल खोले गए उन की कोई रिपोर्ट आई कि उन का काम कैसा हुआ है ?

श्री के० डी० मालवीय : काम तो अच्छा ही हुआ होगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें निश्चित रूप से पता है ?

श्री के० डी० मालवीय : हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

श्री एस० डी० उपाध्याय : क्या माननीय मिनस्टिर बतायेंगे कि दिल्ली प्रदेश को जो ट्रेन्ड टीचरों की संख्या मिली है वह पर्याप्त है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस सम्बन्ध में स्पीकर महोदय मैं यह बताऊंगा कि सी० क्लास स्टेटस का कानून चालू होने से पहले दिल्ली स्टेट में केन्द्रीय सरकार के दो स्कूल चालू थे, एक तो स्त्रियों की शिक्षा के लिये और एक मर्दों की शिक्षा के लिये । जो पुरुषों की शिक्षा के लिये था वह अजमेर में था और लड़कियों की शिक्षा के लिये दिल्ली में था । बाद में अजमेर वाला स्कूल भी दिल्ली के चीफ़ कमिशनर के प्रबन्ध में आ गया और वहां पर दिल्ली की तरफ़ से सौ शिक्षकों की जगह नियत कर दी गई है । इस प्रकार दिल्ली स्टेट के लिये और अजमेर सब जगह के लिये शिक्षकों की शिक्षा का पर्याप्त प्रबन्ध हुआ था ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिये यह अल्प-कालिक प्रशिक्षण काफी है ?

श्री के० डी० मालवीय : हां श्रीमान् ।

बनावटी पेट्रोल

*२३६३. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या प्रकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में कोयले से बनावटी पैट्रोल के बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रयोग किए गये हैं ;

(ख) यदि हां तो परिणाम किस सीमा तक सफल पाए गए हैं; तथा

(ग) उत्पादन कब आरम्भ होगा ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इंधन अनुसन्धान संस्था, देहरादून में कोयले से बनावटी तेल के उत्पादन के सम्बन्ध में प्रयोगशालाओं में किए गये तथा छोटे छोटे प्रयोगों के परिणामस्वरूप उक्त संस्था में निम्नलिखित यन्त्र लगाये गये है :

(१) फ़िस्षर-ट्रोपस्ष" मशीन जो एक दिन में लगभग एक गैलन तरल वस्तु का उत्पादन करती है ;

(२) विमान-चालन में काम आने वाले स्पिरिट के उत्पादन के लिये अधिक दबाव वाला एक छोटा सा तेल जलाने का यन्त्र ।

(ग) व्यापारिक स्तर पर उत्पादन की किसी योजना के बनाने से पहले इस समय छोटे स्तर पर चल रही योजनाओं को बड़े पैमाने पर आजमाना होगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि भारत में तेल साफ़ करने के कारखाने लगाने से बनावटी पैट्रोल के उत्पादन के अनुसन्धान पर कहीं प्रतिकुल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : नहीं श्रीमान ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि बनावटी पैट्रोल की मशीनों के लगाने की योजना डायरेक्टर जनरल

आफ़ इन्डस्ट्रीज़ (उद्योग महा-संचालक) द्वारा कोई दो वर्ष पहले तैयार की गई थी तथा एक विदेशी फ़र्म (सार्थ) से इस कारखाने के लगाने के ठेके के सम्बन्ध में इस समय वार्ता चल रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, श्रीमान्। बहुत सी योजनायें सरकार के सामने थीं तथा इस समय भी हैं।

श्री मेघनाद साहा : योजना को छोड़ क्यों दिया गया ?

श्री के० डी० मालवीय : क्योंकि योजना पर बहुत खर्चा बैठता था तथा यह सोचा गया कि हमें अपने समाने पड़ी योजनाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिये। इसके अतिरिक्त सारा प्रश्न योजना आयोग के सामने है।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि यह योजना न केवल तत्कालिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि युद्ध की दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है, तथा क्या इस विचार से इसे निकट भविष्य में पुनः आरम्भ किया जायगा ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, श्रीमान्, ये प्रश्न सरकार के सामने हैं।

श्री सारंगधर दास : क्या भूल उत्तर के निर्देश से, मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या प्रयोगों के करने में झरिया अथवा तलछर का कोयला बर्ता गया था ?

श्री के० डी० मालवीय : बढ़िया प्रकार के बनावटी पैट्रोल के उत्पादन के लिए अपेक्षित कोयले से तेल निकालने का तरीका केवल उत्तरीय आसाम के कोयले पर बर्ता जा सकता है। मैदानी कोयला इस के लिए उपयुक्त नहीं है।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों में भी जो कि लगातार तीन साल से सूखा क्षेत्र करार दिया गया है, मिलिटरी परसोनल रिलीफ़ वर्क के लिए भेजा जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदयः अगला प्रश्न।

उच्च न्यायालय द्वारा बहि-शुल्क अधिकारियों की निन्दा

* २३६४. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने हाजी सत्तार हाजी परी मुहम्मद बनाम वहि-शुल्क कलक्टर, कलकत्ता (१९५० के मुकदमा नम्बर ९७–९९) मुकदमा में वहि-शुल्क अधिकारियों के सम्बन्ध में कुछ निन्दाजनक बातें कहीं हैं ; तथा

(ख) क्या उस बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री त्यागी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) जिन त्रुटियों की शिकायत की गई है, उनका कारण यह है कि स्वाभाविक न्याय के सिद्धान्तों के लागू करने में अनिश्चतता सी पाई जाती है। हाल के निर्णय को सामने रखते हुए बहि-शुल्क अधिकारी को उचित अनुदेश जारी किए गए हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या यह सत्य है कि इस मुकदमा में जिन बहि-शुल्क महोदय का वर्णन आया है वह तब से तरक्की देकर केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के सदस्य बना दिये गये हैं तथा इस के अतिरिक्त वे अपने द्वारा कल्कटर पद के दिनों में दिये गये फैसलों के बारे में अपीलें भी सुनते हैं ?

श्री त्यागी : बहि-शुल्क कल्कटर कलकत्ता के प्रभारी अधिकारी जिन्हें तरक्की दी गई है तथा जो अब केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के सदस्य हैं वह अपनी सेवा वरीयता

तथा योग्यता से उस पद पर पहुंचे हैं तथा उच्च न्यायालय की निन्दाजनक टिप्पणियों से इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं समझता हूं कि उक्त अधिकारी ने नियमों के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। सदन की सूचना के लिये मैं यह पढ़ कर सुना दूं। वर्ष १९३५ में बहि-शुल्क अधिकारियों को जारी किये गए आदेश इस प्रकार से हैं : "ऐसे आंकड़ों में मूल्यों का बतलाना वान्छनीय नहीं है जिन के बारे में तर्क वितर्क चल पड़े अतः बहि-शुल्क का सारा विभाग उसी पुरानी नीति के अनुसार कार्य कर रहा है।" परन्तु उस समय से तथा उच्च न्यायालय द्वारा इस अपमानजनक टिपनी से बहुत पहले नीति में परिवर्त्तन कर दिया गया था तथा अब यह फैसला किया गया है कि सम्बन्धित पक्ष को वे सभी प्रमाणों को बतला दिया जाना चाहिये जिन के आधार पर दण्ड के लगाने का निर्णय किया गया है। हाल में मैं ने यह आदेश भी निकाले हैं कि उन की बात वैयक्तिक रूप से भी सुनी जाय तथा उनके विरुद्ध आरोप उन्हें बतलाये जायें।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मैं समझ सका हूं प्रश्न का मतलब यह है कि जिस अधिकारी ने फैसले किये हैं, वही अपीलों को भी सुनता है।

श्री त्यागी : नहीं, श्रीमान्, स्थिति इस प्रकार से नहीं है। वास्तव में बहि-शुल्क विभाग के प्रभारी सदस्य के फैसलों के विरुद्ध निर्देश किये जाते हैं तथा उन में परिवर्त्तन किये जाते हैं। परन्तु केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के तीन सदस्य हैं। तीनों सदस्य अपने काम को परस्पर इस प्रकार से बांट लेते हैं कि केन्द्रीय उत्पादन विभाग के आदेशों के फल-स्वरूप परिवर्तनों को बहि-शुल्क विभाग के प्रभारी सदस्य द्वारा देखा जाता है तथा बहि-शुल्क विभाग के आदेशों के फलस्वरूप हुए परिवर्तनों को या तो आय कर अथवा केन्द्रीय उत्पादन विभाग के प्रभारी सदस्य के ध्यान में लाया जाता है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार की यह नीति है कि किसी उच्च न्यायालय द्वारा निन्दाजनक टिपनी के किये जाने के बाद भी— जैसा कि माननीय मंत्री ने स्वीकार भी किया है—अधिकारियों को किसी दूसरे पद पर तरक्की का अधिकार दिया जाय ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न बहुत विस्तृत सा है। माननीय सदस्य द्वारा मुझे दिये गये पत्रों से मैं उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई विशेष लांछन नहीं देख पाया हूं। केवल उन्होंने स्वाभाविक न्याय के सिद्धान्त का पालन नहीं किया है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार को पता है कि उस अधिकारी के विरुद्ध कई एक स्थायी कर्मचारियों को सेवा से निकालने का भी अभियोग है जिन की यह शिकायत है कि उन्हें अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में अपना बचाव उपस्थित करने का अवसर नहीं दिया गया ?

श्री त्यागी : नहीं, श्रीमान्, जहां तक सरकारी कर्मचारियों के निकाले जाने का सम्बन्ध है, नियम सदैव यही रहा है कि उन्हें अपने विरुद्ध आरोपों के बारे में बतलाया जाय तथा मेरे ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं लाया गया है जिसमें उस के विरुद्ध आरोपों की सूचना उसे न दी गई हो या उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये न कहा गया हो तथा नौकरी से निकाल दिया गया हो।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या यह सत्य कि उक्त बहि-शुल्क कलक्टर कलकत्ता के

दिनों में कर्मचारियों को इतने अधिक समय तक के लिये काम करना पड़ता था जितना किसी से होना भी सम्भव नहीं तथा पश्चिमी बंगाल के श्रम-आयुक्त को इस बारे में बहुत कठिनाई का सामना हुआ क्योंकि ऐसा जान पड़ता था कि उसे बहि-शुल्क कलक्टर पर कोई अधिकार नहीं है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह बहि-शुल्क अधिकारी के बारे में न्यायालय की जांच पड़ताल का परिणाम है अथवा कि इतना सार्वजनिक महत्त्व का प्रश्न है जिस का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है ? हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हैं जिन में यह पूछा गया हो कि किसी विशेष अधिकारी से क्या बर्ताव किया गया या किसी अधिकारी को तरक्की कैसे मिली, उस ने वर्ष १९५० में क्या क्या किया। हमें उन प्रश्नों की पूर्व-सूचना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न पर चलें ।

खड़गवसला रक्षा अकेडिमी

*२३६५. **डा० राम सुभग सिंह** : रक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) खड़गवसला पर रक्षा एकेडिमी (विद्यापीठ) के कब तक पूर्णतः बन कर तैयार हो जाने की सम्भावना है ; तथा

(ख) उस एकेडिमी के बनाने पर लगभग कितनी लागत आयेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) एकेडिमी के १९५६ तक बन जाने की आशा की जाती है ।

(ख) इस के बनाने के लिये ५.८७ करोड़ रुपये की मंजूरी दी जा चुकी है।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता कि क्या एकेडिमी के बनाने पर व्यय का आरम्भ का अनुमान भी इतना ही था जितना कि माननीय मंत्री ने अभी बतलाया है ?

श्री गोपालस्वामी : मैं ने और कोई आंकड़े नहीं देखे हैं ।

श्री पाटस्कर : आरम्भ में एकेडिमी के कब तक बन कर तैयार हो जाने की आशा की गई थी ?

श्री गोपालस्वामी : जो समय मैं ने अभी बतलाया है। निस्संदेह यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रत्येक वर्ष व्यय के लिए हमें कितना धन मिल सकता है ।

उच्चतम न्यायालय में सरकारी मुकदमों की पैरवी

*२३६६. **श्री एस० सी० सामन्त** : विधि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५०-५१ तथा सन् १९५१-५२ में उच्चतम न्यायालय में केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न राज्य-सरकारों की ओर से कितने मुकदमों की पैरवी की गई थी ;

(ख) कितने वकीलों को इस सम्बन्ध में नियुक्त किया गया था तथा उन्हें क्या फीस आदि के रूप में दिया गया था; तथा

(ग) उन राज्यों के नाम जिन की ओर से इन मुकदमों की पैरवी की गई थी तथा जिन्हें वह खर्च उठाना पड़ा था ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास) मामलों की सख्या इस प्रकार से है :—

	१९५०,	१९५१	१-७-५२ तक
भारत संघ	३३	५०	३२
बम्बई	२७	३५	२९
मद्रास	८	९	१२

	१९५०	१९५१	१-७-५२
पंजाब	१७	१०३	३८
बिहार	८	२१	६
उड़ीसा	८	१५	६
मध्य प्रदेश	१७	३७	१५
मध्य भारत	...	२	४
राजस्थान	७	९	३
सोराष्ट्र	१	२	३
हैदराबाद	१०	४	५२
मैसूर	३	९	९
पैप्सू	...	६	१
त्रावन कोर-कोचीन	...	२१	१६
हिमाचल प्रदेश	...	१	४
भोपाल	...	...	१
मनीपुर	१	२	१
विन्ध्य प्रदेश	...	२	३
दिल्ली	३	११	१
कच	...	१	१
त्रिपुरा	...	...	१

(ख) सेवायुक्त किये गये वकीलों की संख्या ६३ है तथा फीस आदि के रूप में उन्हें कुल २,५३,७३४ रु० दिये गये ।

(ग) उन राज्यों के नाम जिन की ओर से मुकदमों की पैरवी की गयी तथा जिन्हें वह खर्च उठाना पड़ा, उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में दिए गए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि इस प्रकार की सूचना एक वक्तव्य के रूप में दी जाये तो इस से सदन का समय बच जायेगा ।

श्री बिश्वास : मैं ने सुझाव तो अवश्य रखा था, परन्तु मेरा मंत्रालय उसे स्वीकार नहीं कर सका ।

श्री एस० सी० सामन्त : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के निर्देश से, मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तथा आसाम राज्यों का उल्लेख नहीं किया गया है । मैं ज्ञात कर सकता हूं कि उन के मामलों की पैरवी कैसे की जाती है ?

श्री बिश्वास : कारण यह है कि इन राज्यों ने इस योजना में शामिल होना स्वीकार नहीं किया । भारत सरकार ने राज्यों की सहायता करने के लिये एक केन्द्रीय अभिकरण स्थापित किया था, परन्तु यह राज्य उस से बाहर रहे ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं इन राज्यों द्वारा बतलाए गए उन कारणों को जान सकता हूं जिन से वह शामिल नहीं हुए ?

श्री बिश्वास : एक ने प्रतीक्षा करना अच्छा समझा ; दूसरे राज्य ने न तो इस में कोई सुविधा देखी तथा न ही इसकी कोई आवश्यकता समझी । तीसरे राज्य ने वित्तीय स्थिति के बारे में निश्चित न हो सकने में असमर्थता प्रकट की ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि माननीय मंत्री द्वारा बतलाये गए अभिकरण के कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा मुकदमों की पैरवी में किस प्रक्रिया के अनुसार काम किया जाता है ?

श्री बिश्वास : मैं ने इस का उत्तर किसी प्रश्न के उत्तर में थोड़े दिन पहले दिया था जिस में प्रारम्भ में कर्मचारियों की संख्या तथा बाद में बढ़ाये गए कर्मचारी वर्ग की संख्या बतलाई थी । मुझे खेद है कि ये आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं उन मामलों की संख्या जान सकता हूं जिन में संविधान के अनुच्छेदों का वर्णन आया था ?

श्री बिश्वास : श्रीमान्, मैं इस समय तो यह सूचना नहीं दे सकता, परन्तु यदि मेरे माननीय मित्र को यह सूचना चाहिये तो मैं उन्हें यह बाद में दे सकूंगा ।

राष्ट्रीय संस्कृतिक न्यास

*२३६७. **श्री एस० सी० सामन्त :** **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन के सहयोग से हाल में विशेष स्थानीय कलाओं के अनुसंधान तथा परीक्षण के बारे में ललित कलाओं की छात्रवृत्तियों की योजना आरम्भ की गई है; तथा

(ख) इस प्रयोजन से पहले क्या राशि व्यय की जा चुकी है तथा १९५२-५३ में कितना धन व्यय किया जायेगा ?

शिक्षा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) आरम्भ में भारत सरकार, बम्बई, जम्मू तथा कश्मीर, मद्रास, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों की सरकारों के सहयोग से इस योजना को चलाने का विचार कर रही है ।

(ख) अभी तक इस योजना पर कुछ व्यय नहीं किया गया है । यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष १९५२-५३ में इस प्रयोजन से १२,००० रु० व्यय किये जायेंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि कितने स्कालरशिप इस के बारे में गवर्नमेंट ने मुकर्रर किये हैं ।

श्री के० डी० मालवीय : मैं ने अभी सवाल के जवाब में कहा कि कुछ स्टेट्स में यह योजना चालू हो चुकी है । हर स्टेट में इस समय एक स्कालरशिप देने की योजना है ।

श्री एस० सी० सामन्त : कलर रिप्रोडक्शन के बारे में गवर्नमेंट की कोई स्कीम है या नहीं ?

मिनिस्टर आफ एजुकेशन एन्ड नैचुरल रीसोर्सेज एण्ड साइन्टेफिक रीसर्च (मौलाना आज़ाद) : दो बरस हुए कलकत्ता में एक कान्फ्रेंस हुई थी, उस में यह सिफारिश की गई थी कि मुलक की पुरानी कारीगरी और आर्ट की हिफाज़त के लिये और उन में आगे बढ़ाने के लिये ज़रूरी कार्यवाही की जाये । चुनाचि अब यह कोशिश की जा रही है कि मुख्तलिफ स्टेटों में स्कालर मुकर्रर किये जायें जो वहां की कारीगिरयों को सर्वे करें। ख्याल किया गया है कि हर स्कालर को कम से कम साढ़े तीन हज़ार रुपया दिया जायेगा ताकि वह अपने अपने सर्कल में इन्क्वारी करें और अपनी रिपोर्ट पेश करे ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि कनार्टक म्यूज़िक ऐकेडेमी और हिन्दुस्तानी म्यूज़िक ऐकेडेमी, लखनऊ इस स्कीम के दायरे में आयेंगी या नहीं, अगर आयेंगी तो गवर्नमेंट क्या बन्दोबस्त कर रही है ।

मौलाना आज़ाद : वह तो अलग हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जानना चाहता हूं कि ट्रस्ट के अन्दर वह शामिल हैं या नहीं

मौलाना आजाद : वह दोनों इस में नहीं हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि विशेष विशेष स्थानीय कलाओं में अनुसन्धान तथा परीक्षण का क्या मतलब है तथा क्या आन्ध्र देश की कूची पूडी तथा भारत नाट्यम कलाओं की ओर सरकार ध्यान दे रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, श्रीमान् । तामल नाड तथा आन्ध्र देश में ललित कलाओं तथा मूर्ति कलाओं के सम्बन्ध में छान बीन कर रही ह , परन्तु भारत नाट्यम के बारे में नहीं ।

पंच वर्षीय योजना

*२३६८. **प्रो० अग्रवाल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये विभिन्न राज्यों को

अतिरिक्त धन के उपलब्ध करने की कोई निश्चित योजना परिचालित की है, तथा

(ख) योजना आयोग की अन्तिम सिफारिशों के कब तक प्रकाशित किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) पंच वर्षीय योजना के लिये वित्तीय व्यवस्था करने के सम्बन्ध में, राज्य सरकारों ने पिछले वर्ष योजना आयोग के साथ परामर्श कर के योजना के पूरा करने के अभिप्राय से अतिरिक्त धन एकत्र करने के उपाय सोचे थे। इस प्रकार से कुल एकत्र किये जाने वाले धन तथा उस के लिये सामान्य उपायों का वर्णन योजना आयोग की रूप रेखा के प्रारूप सम्बन्धी रिपोर्ट के पृष्ठ ४९ पर किया गया है।

(ख) योजना आयोग की अन्तिम रिपोर्ट के शीघ्र ही प्रकाशित किये जाने की सम्भावना है।

प्रो० अग्रवाल : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस सत्र के समाप्त होने से पहले सरकार हमें प्रारूप की 'साइक्लोस्टाइलड' प्रतियां दे सकेगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं निश्चित तिथी बतलाने में असमर्थ हूं। शायद योजना मंत्री बतला सकें।

प्रो० अग्रवाल : राज्यों में करारोपण को एक ही आधार पर लाने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री सी० डी० देशमुख : एकरूपता का प्रश्न इस विधेयक के सम्बन्ध में उठा था। शेष बातों के सम्बन्ध में मेरे विचारानुसार करारोपण जांच समिति विचार करेगी।

प्रो० अग्रवाल : क्या प्रारूपी रूप रेखा की तुलना में अन्तिम योजना के कुल खर्च में सरकार के अनुसार कमी होगी या वृद्धि ?

श्री सी० डी० देशमुख : सदस्य के नाते मैं समझता हूं कि खर्च बढ़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर भी योजना मंत्री ही ठीक तरह दे सकते हैं।

श्री श्यामनन्दन सहाय : योजना के पूरा करने के लिये की गई वित्तीय व्यवस्था में राज्य सरकारों द्वारा ऋण लेने का उपाय भी रखा गया है। क्या भारत सरकार ने इन राज्यों को ऐसे अनुदेश जारी किये हैं कि ये ऋण किस प्रकार से लिए जायें तथा कब इन्हें जनता को पेश किया जाये ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस मामले को भारत सरकार के अनुदेशों से विनियमित करना सम्भव नहीं है। ऋण लेने की सम्भावना रिजर्व बैंक द्वारा परखी जाती है तथा राज्य सरकारों को इस बारे में परामर्श दिया जाता है। माननीय सदस्यों को पता होगा कि कुछ ऋण हाल में पेश किये गये हैं।

श्री श्यामनन्दन सहाय : मैं ने वास्तव में यही जानना चाहा था कि क्या इन ऋणों का पंच वर्षीय योजना से कोई सम्बन्ध है ?

श्री सी० डी० देशमुख : समस्त ऋणों का पंचवर्षीय योजना के पूरा करने से सम्बन्ध है तथा वे राज्यों के साधनों में वृद्धि करने के लिये जारी किये जाते हैं।

श्री श्यामनन्दन सहाय : मैं जानता हूं कि राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये ऋणों के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा कार्यवाही की जाती है। परन्तु इस मामले का योजना निर्माण से सम्बन्ध होने के कारण मुझे कोई सन्देह नहीं है कि भारत सरकार भी इस विषय में रुचि दिखा रही होगी। अतः मैं ने यह जानना चाहा कि क्या राज्य सरकारों को इस बारे में हिदायतें जारी की गई हैं कि ये ऋण कब तथा किस प्रकार से जारी किये जायें तथा

उन की आवश्यकता कब होगी । वास्तव में मेरा प्रश्न यही है कि मद्रास, बम्बई तथा उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा जारी किये गये ऋणों का इस योजना-निर्माण कार्य से सम्बन्ध है । राज्यों की अपनी अपनी आवश्यकतायें भी हैं । इस प्रश्न में यह जानने की इच्छा की गई है कि क्या ये ऋण राज्य सरकारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये लिये जायेंगे या योजना निर्माण की आवश्यकताओं को?

श्री सी० डी० देशमुख : सामान्य रूप से इन ऋणों का राज्यों की विकास योजनाओं से सम्बन्ध है, अपने संसाधनों के इलावा . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह जान पड़ता है कि क्या ये ऋण राज्यों द्वारा बनाई गई. विकास की सामान्य योजनाओं से सम्बन्ध रखते हैं अथवा कि अखिल भारतीय विकास कार्यक्रम से ।

श्री सी० डी० देशमुख : अखिल भारतीय विकास नाम की कोई वस्तु नहीं है । राज्यों की अपनी अपनी योजनायें हैं, केन्द्र की अपनी योजनायें हैं । जो ऋण राज्यों ने जारी किये हैं, वे राज्यों की योजनाओं के सम्बन्ध में हैं जो पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित हैं ।

श्री बंसल : मैं जान सकता हूं कि क्या कुछेक राज्य सरकारें प्रथम पंचवर्षीय योजना में वर्णित विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यय अनुसूची के अनुसार नहीं चल सकी हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा विश्वास है कि यह एक तथ्य है ।

श्री बंसल : यदि ऐसा है तो मैं जान सकता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : यह बात केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में नहीं है । इस के बारे में राज्य सरकारों से पूछ ताछ की जाये ।

इंग्लैंड में समायोजनीय प्रेषित धन सम्बन्धी लेखा

*२३६९. **श्री एस० एन० दास : वित्त** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंगलैंड में समायोजनीय प्रेषित धन सम्बन्धी लेखा में ३१ मार्च, १९५२ को क्या क्या मदें थीं तथा उन के अन्तर्गत कुल प्राप्य राशि कितनी थी; तथा

(ख) क्या सन् १९५१-५२ में किन्हीं विवादग्रस्त मदों का निपटारा किया गया था ; यदि किया गया था तो वे मदें क्या थीं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) ३१ मार्च, १९५२ के दिन कुल शुद्ध प्राप्य राशि ७० लाख पौंड के लगभग थी । इस में से १० लाख पौंड असैनिक सौदों के बारे में थे तथा ६० लाख पौंड रक्षा सेवाओं के सम्बन्ध में थीं । असैनिक सौदों में मुख्य मदें ये थीं; ब्रिटेन के साथ पोस्टल तथा मनी आर्डरों का लेन देन; भारत में उपनिवेशों तथा अन्य विदेशी सरकारों की ओर से वस्तुओं की खरीद तथा रक्षा सेवाओं के सम्बन्ध में भारत में रक्षा के संचित सामान से ब्रिटेन को दिया गया सामान; सरकारी कार्यालय ब्रिटिश सरकार के माल तथा कर्मचारियों के समुद्र ले जाने के लिये किराया आदि का खर्च तथा ब्रिटिश विमान मंत्रालय को दिये गये समान का मूल्य ।

(ख) मेरी जानकारी में ऐसी विवादग्रस्त मद केवल एक ही थी तथा वह ब्रिटिश सामरिक यातायात मंत्रालय की ओर से अधिग्रहण किये गये भारतीय पंजीबद्ध जहाज़ों के खर्चे के सम्बन्ध में थी । सिवाय एक लाख रुपये की छोटी सी राशि के, इस का निपटारा हो चुका है

श्री एस० एन० दास : क्या मैं इन लेखाओं के समायोजन करने में इतना विलम्ब हो जाने के कारण जान सकता हूं ?

श्री सी० डी० देशमुख : इन लेखाओं का फैसला करने से पहले लेखाओं, वाउचरों तथा अन्य ब्योरों के सम्बन्ध में परस्पर सहमति का होना ज़रूरी है ।

श्री एस० एन० दास : यदि कोई विवाद-ग्रस्त मद नहीं है तो लेखायें अभी तक क्यों निपटाई नहीं जा सकीं हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : लेखाओं के सम्बन्ध में सहमत होने में तो कोई झगड़ा नहीं है । जिस व्यक्ति से प्राप्य धन का दावा किया जाय, उसे वाउचर आदि के अपने लेखा तथा लेखा-परीक्षण अभिकरणै द्वारा जांच कराये जाने का अधिकार है । यह कर चुकने के बाद ही वह उस दायित्व को स्वीकार करता है तथा उस का भुगतान करता है । बहुत सा समय इसी इन वाउचरों के विनिमय में तथा अन्य प्रकार की जानकारी के प्राप्त करने में लग जाता है ।

श्री एस० एन० दास : पिछले वर्ष मेरे प्रश्न के उत्तर में प्राप्य धन ८० लाख पौंड बतलाया गया था । मैं जान सकता हूं कि क्या सारे वर्ष में केवल १० लाख पौंड के दावों का ही निपटारा किया गया था तथा इन सब लेखाओं को निपटाने में कितना समय लग जायेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह बतलाना कठिन है । परन्तु मैं एक उदाहरण बतला सकता हूं । अन्तिम मद यातायात मंत्रालय के सम्बन्ध में है । प्रारम्भ में हमारा समूचा दावा ५,९६,००,००० रु० का था । ब्रिटिश सरकार ने अभी तक ५,९५,००,००० रु० का भुगतान किया है । मुझे कोई सन्देह नहीं कि ब्योरों के तय हो जाने पर दूसरी राशियों का भी फैसला हो जायेगा । बड़ी बड़ी मदों में पोस्टल तथा मनीआर्डरों सम्बन्धी लेन देन एक मद है जो लग भग १५ लाख पौंड है वस्तुओं का मूल्य २७ १/२ लाख पौंड है, सामुद्रिक यातायात का खर्चा २५ लाख पौंड है ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या ये लेखायें सन् १९५१-५२ के सौदों के सम्बन्ध में हैं अथवा पिछले वर्ष के प्राप्य धन को आगे लाया गया है तथा यदि ऐसा है तो कितना समय पहले की लेखाओं को ?

श्री सी० डी० देशमुख : इन दो बड़ी मदों के अर्थात् भारत की रक्षा के संचित सामान में से ब्रिटिश सरकार को तथा उन के मनोनीत वायु सेना के अधिकारियों को जारी किये गये सामान के परिव्यय के बारे में भुगतान १९४६-४७ तथा १९४७-४८ में दिये गये थे । ब्रिटिश सरकार के सामान तथा कर्मचारियों के बारे में समुद्र के मार्ग से ले जाने के व्यय का भुगतान १९४७-४८ तथा १९४८-४९ में किया गया था ।

श्री के० के० बसु : सरकारी अनुमान के अनुसार ये लेखायें कब तक तय हो जायेंगी ?

श्री सी० डी० देशमुख: : इस सम्बन्ध में पहले कुछ कहना कठिन है । मुझे केवल इस बात का विश्वास है कि उन्हें सन्तोषजनक रीति से तय कर दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय निदर्शन (नमूने का) पर्यालोकन

*२३७०. **श्री संगण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय निदर्शन पर्यालोकन समाप्त कर दिया गया है; तथा

(ख) अभी तक इस पर कुल कितना व्यय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) राष्ट्रीय निदर्शन (नमूने का) पर्यालोकन विभिन्न क्रमों के अनुसार किया जाता है तथा इस समय तक तीन क्रम पूरे किये जा चुके हैं तथा चौथा क्रम इस समय चल रहा है । राष्ट्रीय निदर्शन पर्यालोकन को एक चलता रहने वाला कार्य बनाने का विचार

किया गया है तथा इस के पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) मई, १९५० से ले कर, जबकि पर्यालोकन कार्य आरम्भ हुआ था ३१ मई, १९५२ तक कुल खर्च ४७·४९ लाख रुपये हुआ है ।

श्री संगण्णा : मैं उस अभिकरण का नाम जान सकता हूं जिस के द्वारा पर्यालोकन कार्य किया जा रहा है ?

श्री सी० डी० देशमुख: आंशिक रूप से तो भारतीय सरकार की स्वीकृत अभिकरणों द्वारा तथा आंशिक रूप से कलकत्ता की भारतीय संपर्क संस्था द्वारा । उपरोक्त संस्था की सहायता मूल कार्यकर्त्ताओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी के सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा सारिणी तैयार करने के काम में ली जाती है जो अधिक प्रविधिक सा काम है ।

श्री संगण्णा : पर्यालोकन का विस्तार कितना है ?

श्री सी० डी० देशमुख : सामान्य रूप से सब से बड़ा उद्देश्य सरकारी आंकड़ों, विशेषतया अनाज का उत्पादन, राष्ट्रीय आय तथा हर प्रकार के व्यय बचत सम्बन्धी आंक इत्यादि को अधिक ठीक बनाना है । मैं यह भी बतला दूं कि जिस जानकारी के आधार पर राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रकाशित की थी, वह इसी संस्था द्वारा एकत्र की गई थी ।

श्री संगण्णा : क्या सरकार अभी तक एकत्र की गई जानकारी को सदन के सामने रखने के लिये तैयार है ?

श्री सी० डी० देशमुख : हां, श्रीमान्, मैं समझता हूं कि हम इस विषय पर सितम्बर, १९५२ तक एक छोटी सी पुस्तक प्रकाशित कर सकेंगे ।

सोवियत सरकार द्वारा भारतीय मुद्रा का स्वीकार किया जाना

*२३७१. **श्री के० सुब्रह्मण्यम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान मास्को में आयोजित आर्थिक सम्मेलन में भेजे गये भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा जारी किये गये उन वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है कि सोवियत सरकार ने भारतीय मुद्रा में व्यापारिक सौदों का करना स्वीकार कर लिया है;

(ख) सरकार ने ऐसी प्रार्थना कब की थी ? क्या अभी तक सोवियत सरकार से अथवा पूर्वी यूरोप के किन्हीं देशों से ऐसे सौदे किये हैं ? यदि ऐसा हुआ है, तो क्या भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि भाड़े तथा बीमा के सम्बन्ध में दी गई है या कि आयात की गई वस्तुओं के सम्बन्ध में ?

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर हां में है तो राशि कितनी थी तथा इस का भुगतान कब किया गया था तथा किसे किया गया था ?

(घ) यदि भविष्य में सोवियत सरकार या पूर्वी यूरोप के देशों को कोई राशियां भारतीय मुद्रा में दी जायें तो क्या सरकार सम्बन्धित दूतावासों या व्यापारिक आयुक्तों द्वारा उन की जांच पड़ताल किया करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) :

(क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) भारत सरकार ने तो सोवियत सरकार से न ही पूर्वी यूरोप के किसी देश से ऐसी कोई प्रार्थना की थी कि व्यापारिक सौदों का आर्थिक समायोजन भारतीय मुद्रा में किया जाय । जैसा कि मैं ने प्रश्न संख्या ७०६ के ११ जून, १९५२ को

दिये गये उत्तर में बतलाया था, भारत सरकार ने सोवियत सरकार को किसी सौदे के सम्बन्ध में भारतीय मुद्रा में भुगतान नहीं किया है तथा न ही पूर्वी यूरोप के किसी देश की सरकार को इस प्रकार का भुगतान किया गया है । फिर भी मुद्रा विनिमय नियन्त्रण विनियमों के अन्तर्गत विदेशों से भारतीय मुद्रा दे कर वस्तुओं के मंगाने की इजाज़त है तथा रूस से भारतीय रुपये में भुगतान कर के थोड़े परिमाण में वस्तुयें मंगाई गई हैं ।

(घ) विदेशों से मंगाई गई वस्तुओं के सम्बन्ध में भुगतानों को अ-निवासी (नान-रेज़ीडेन्ट) लेखों में जमा किया जाता है जिन पर रिज़र्व बैंक आफ इंडिया की सामान्य जांच पड़ताल रहती है । इस समय की स्थिति के अनुसार मुद्रा विनिमय नियन्त्रण विनियमों में अ-निवासी लेखों की जांच पड़ताल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है । विदेशी दूतावासों तथा व्यापार आयुक्तों के लेखों से निवासी (रेज़ीडेन्ट) लेखों का सा व्यवहार किया जाता है तथा उन की रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जांच पड़ताल नहीं की जा सकती ।

श्री के० के० बसु: क्या सरकार डालर-मुद्रा की कमी को ध्यान में रखते हुए इन देशों से कार्त्ता आरम्भ करने का विचार कर रही है जिस से कि उन देशों को मुद्रा का भुगतान सुलभ मुद्रा में किया जा सके ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । अब यह ममाला निजी व्यापार द्वारा निपटाए जाने का है । यदि कोई आयात करने वाला भारतीय रुपये में भुगतान करने की प्रस्थापना करता हैं तो मेरा विश्वास है कि सोवियत रूस भारतीय रुपये में भुगतान को स्वीकार करने के लिए तैयार होगा ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : माननीय मंत्री हमें कृपया बतलायेंगे कि क्या सरकार इन देशों से व्यापार को बढ़ाने का विचार कर रही है, विशेषतय: उन के द्वारा हमें पेश की गई व्यापार की बहुत अच्छी शर्तों को सामने रखते हुए ?

श्री सी० डी० देशमुख : ऐसी बातें एक पक्ष की ओर से नहीं हो सकतीं । जैसा कि मैं ने एक पहले अवसर पर कहा है, वास्तव में ये बातें आयात करने वालों पर निर्भर करती हैं । हम तो केवल उन्हें सहायता दे सकते हैं । यदि वे कठिनाई में हों तो हम उस के निवारण का यत्न करते हैं । जहां तक मुद्रा विनिमय या आयात के विनियमों का सम्बन्ध है, इन में ऐसी कोई रुकावट नहीं है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्योंकि सरकार पूंजीगत तथा उपभोक्ता दोनों प्रकार की वस्तुओं को खरीद रही है , क्या राष्ट्रीय निर्माण की योजना बनाने अथवा इस प्रकार के प्रयोजन से यह बात देश के हित में नहीं है कि केवल उन्हीं मण्डियों से वस्तुऐं खरीदी जायें जिन की शर्तें दूसरे स्थानों की शर्तों से बहुत अच्छी हों ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक स्पष्ट बात है तथा अपने अपने मत का विषय है ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस प्रकार से दी गई भारतीय रुपये की मुद्रा को भारत में किसी भी प्रयोजन से व्यय किया जा सकता है ?

श्री सी० डी० देशमुख : हां, श्रीमान्, जिन अनिवासी लेखों के शेष का मैं ने वर्णन किया है, वे सम्बन्धित देशों के सम्बन्ध में निर्यात के लिये आर्थिक व्यवस्था करने के लिये उपलब्ध हैं ।

राष्ट्रीय रक्षा एकेडिमी में छात्र-सैनिक

*२३७२. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय रक्षा एकेडिमी में कितने छात्र -सैनिक प्रशिक्षणाधीन रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में कितने छात्र-सैनिकों को सेवायुक्त किया गया है तथा किन कारणों से; तथा

(ग) कितने वर्षों के प्रशिक्षण के बाद इन छात्र सैनिकों को सेवायुक्त किया गया था?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : जुलाई १९४९ से जून १९५२ के तीन वर्षों में एकेडिमी में २,३४८ छात्र-सैनिक प्रशिक्षणाधीन थे ।

(ख) तथा (ग) में चार विवरण सदन पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १९]**

श्री ए० के० गोपालन : क्या सरकार को यह तथ्य विदित है कि कुछेक छात्र-सैनिकों को २ १/२ वर्ष के बाद इस कारण से निकाल दिया गया कि उन्हें अधिकारी बनाने के लिये उन में आवश्यक योग्यतायें नहीं पाई गई थीं ?

श्री गोपालस्वामी : जी हां । एक दो मामले अवश्य एसे हुए हैं जिन में छात्र-सैनिकों को तीन वर्ष के बाद एकेडिमी से वापस ले लिया गया था । हो सकता है कि उन्हें वापस ले लिया गया हो क्योंकि यह समझा गया हो कि वे सेना के लिये उपयुक्त अधिकारी नहीं बन सकेंगे ।

श्री ए० के० गोपालन : क्या सरकार को यह तथ्य विदित है कि कुछ छात्र-सैनिकों को रंग, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास के अभाव आदि प्रकार के कारणों से एकेडिमी से निकाल लिया गया था ?

श्री गोपालस्वामी : बिल्कुल सम्भव है कि यह ऐसी योग्यता हो जिसका एक सेना अधिकारी में होना आवश्यक समझा गया हो । उस में आत्मविश्वास का होना जरूरी है वरन् वह सेना में अधिकारी पद पर काम करने के योग्य नहीं समझा जा सकता ।

श्री ए० के० गोपालन : क्या रंग तथा व्यक्तित्व भी उचित कारण हैं ।

श्री गोपालस्वामी : मेरा विचार है कि मैं ने ऐसे किन्हीं मामलों के सम्बन्ध में नहीं सुना ।

श्री के० के० बसु : मैं ज्ञात कर सकता क्या इस प्रकार से सेवामुक्त कर देने का कारण छात्र-सैनिकों के राजनैतिक विचार भी हो सकते है ?

श्री गोपालस्वामी : मैं समझता हूँ कि जितने समय वह एकेडिमी में रहते हैं उन्हें राजनैतिक विचारों के व्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता है, परन्तु यदि, उदाहरणार्थ वे ऐसा मत प्रकट करते हैं जो राज्य की सुरक्षा के लिये अहितकर हो तो कार्यवाही की जायेगी ।

श्री ए० के० गोपालन: क्या उन्हें कोई वैकल्पिक नौकरियां दी गई हैं ?

श्री गोपालस्वामी : नहीं श्रीमान् : मैं समझता हूं कि एकेडिमी इस काम को अपने पर नहीं लेती ।

भारतीय लेखा परीक्षा विभाग

* २३७३. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लेखा-परीक्षा विभाग के कार्य करने के सम्बन्ध में कितनी शिकायतों को सरकार के ध्यान में लाया गया है;

(ख) क्या सरकार को महालेखापाल बम्बई के कार्यालय में पेन्शन तथा भविष्य-निधि के मामलों के फैसलों में बहुत विलम्ब हो जाने के बारे में विदित है; तथा

(ग) सरकार को बम्बई कार्यालय से कितने त्याग-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उनका कारण क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) शिकायतों की कोई विशेष सूची तो नहीं रखी जाती परन्तु उन पर उचित कार्यवाही अवश्य की जाती है ।

(ख) नहीं श्रीमान् । परन्तु कुछ अनिवार्य विलम्ब इस कारण अवश्य होता है कि आवश्यक विलेख पूर्ण अवस्था में नहीं मिलते तथा मुझे पता लगा है कि राज्य सरकार नियन्त्रक तथा महा लेखा परीक्षक की सहायता से इस कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न कर रही है ।

(ग) श्रीमान् एक भी नहीं । परन्तु पता लगा है कि सन् १९५१-५२ में महा-लेखापाल के कार्यालय के कुल १५०० कर्मचारियों में से १२८ ने त्यागपत्र दे दिया था ।

श्री ए० के० गोपालन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या पेन्शन तथा भविष्य-निधि के मामलों में जो विलम्ब होता है उसका कारण विभाग के कर्मचारियों की संख्या का कम होना है ?

श्री सी० डी० देशमुख : विलम्ब का मुख्य कारण प्रशासी कार्यालय से अपूर्ण कागजों का मिलना है तथा मैं खेद प्रकट करता हूं कि प्रशासी कार्यालय की कार्यक्षमता में मुझे कुछ कमी आ गई जान पड़ती है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री समझते हैं कि लागत के अनुमान तैयार करने के लिये नियुक्त किये गये अभिकरण संतोषजनक हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं यह समझ नहीं पाता कि इस प्रश्न से उत्पादन की लागत का प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जानना चाहता हूं कि क्या देर जानबूझ कर किसी मतलब से की जाती है या किसी और कारण से हो जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो किसी अर्थ के निकाल लेने की बात है ।

श्री आल्तेकर : फैसला करने पर सामान्यतः कितना समय लगाया जाता है ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है ।

बोरियों तथा टाट के बनाने की लागत का निकालना

*२३७४. **श्री राजगोपाल राव :** (क) क्या **वित्त** मंत्री वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा ११ जुलाई १९५२ को तारांकित प्रश्न संख्या १७०४ के उत्तर का निर्देश करेंगे तथा यह बतलायेंगे कि पटसन की मिलों में लागत के निकालने का क्या तरीका प्रयोग में लाया जाता है तथा उन पर आय-कर किस प्रकार से लगाया जाता है ?

(ख) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया केवल व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों से पूछ-ताछ करके तथा चीनी, मूंगफली और सीमेंट आदि की तरह एक या दो मिलों में स्वयं या बाहर से बुलाये गये विशेषज्ञों द्वारा उत्पादन की लागत निकाले बिना किसी आंकड़े पर किस प्रकार से पहुंचा है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) सरकार के पास इस प्रकार की कोई जानकारी

नहीं है कि पटसन की मिलों द्वारा लागत निकालने के किस तरीके पर काम किया जा रहा है तथापि लागत का किसी मिल द्वारा अर्जित वास्तविक नफे से कोई सम्बन्ध नहीं है। मिलों पर आय-कर मिलों के परीक्षित लेखों द्वारा बतलाये गये नफे के आधार पर लगाया जाता है जिस पर आय-कर कानून के अन्तर्गत आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं अथवा जहां लेखायें न मिल सकें अथवा उन पर विश्वास न किया जा सके वहां वह कर अनुमान से लगाया जाता है।

(ख) रिजर्व बैंक की पूछताछ का उद्देश्य यह था कि वह इस बात का निश्चय कर सके कि कच्चे पटसन के मूल्यों को पटसन की तैयार वस्तुओं के निर्यात पर प्रभाव कम पड़ेंगे जिससे कि वह भुगतान संतुलन के संभावित रुख की भविष्य वाणी कर सके। इसके लिये उत्पादन के विस्तृत रूप से लागत का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है तथा इस आंकड़े के बिल्कुल ठीक होने का भी दावा नहीं किया जाता है। इस पूछताछ की तटकर बोर्ड या तटकर आयोग की जांच से तुलना नहीं की जा सकती। रिजव बैंक के आंकड़े भी किसी प्रकार से आय-कर विभाग पर लागू नहीं होते।

लारेंस तथा लवडेल स्कूल

*२३७५. **श्री तेलकीकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सनावर (शिमला हिल्ज) तथा लवडेल (नीलगिरी) के स्कूलों का माध्यम कौन सी भाषा है;

(ख) किन विषयों की ओर अधिक ध्यान दिलाया जाता है ; तथा

(ग) उपरोक्त स्कूलों में दाखिल होने के लिये किन योग्यताओं की आवश्यकता है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) अंग्रेजी भाषा।

(ख) स्कूल में पढ़ाए जा रहे सभी विषयों की ओर एक जैसा ध्यान दिया जाता है तथा विशेषता से आचरण बनाने पर जोर दिया जाता है।

(ग) ५ से १३ वर्ष के आयु तक के बच्चे इन स्कूलों में दाखिल हो सकते हैं।

श्री तेलकीकर : क्या मैं पूरे पाठ्यक्रम का समय ज्ञात कर सकता हूं ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

श्री तेलकीकर : क्या में हर स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या जान सकता हुं ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास इस समय तो संख्या नहीं है।

श्री तेलकीकर : उत्तीर्ण विद्यार्थियों के जीवन में उन्नति की भावी सम्भावनायें क्या हैं ? क्या उन्हें सरकारी सेवाओं में लिया जा सकता है ?

श्री के० डी० मालवीय : उनके लिये ये सम्भावनाएं उतनी ही उज्ज्वल हैं जितनी कि दूसरे स्कूलों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिये।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या सरकार के सामने जूनियर तथा सीनियर कैम्ब्रिज़ परीक्षाओं को बन्द करने की कोई प्रस्थापना है ?

श्री के० डी० मालवीय : एक समिति इस विषय पर पहले से ही विचार कर रही है। परीक्षाओं के समाप्त होते ही सरकार इस बारे में कोई फैसला करेगी।

श्री० ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इन पब्लिक स्कूलों के बारे में कोई नीति बनाई ह तथा यदि बनाई है तो वह नीति क्या है ?

मिनिस्टर आफ़ एजूकेशन, नैचुरल रीसोरसेज़ एण्ड साइंटिफ़िक रिसर्च (मौलाना आज़ाद) : पालिसी का कोई खास सवाल पैदा नहीं होता। गवर्नमेंट की पालिसी यह है कि जो अच्छे पब्लिक स्कूल हैं वे कायम रहें।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या सरकार इन स्कूलों का, इनके धर्मस्व की शर्तों के अन्तर्गत पुनर्संगठन करने में स्वतन्त्र है ?

श्री के० डी० मालवीय : जैसा कि मैं ने कहा, एक समिति इस प्रश्न की जांच कर रही है। जभी यह सिपारिशें सरकार के सामने आ जायेंगीं, हम इस प्रश्न की छानबीन करेंगे।

आसाम के रक्षित जंगल

*२३७७. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत रक्षा नियमों के नियम ५०-बी के अन्तर्गत १३ फ़रवरी, १९४५ को आसाम के काज़ीरंगा रक्षित जंगल में स्थित रक्षित बरालीमारा चरागाह में से १८ चरवाहों को, जिनमें एक श्री कृष्णलाल शर्मा भी थे, २४ घंटे से भी कम नोटिस देकर घरों से निकाल दिया गया था ;

(ख) क्या उन्होंने हानिपूर्ति के लिये कोई प्रार्थना-पत्र भेजा था ?

(ग) उन्होंने कितनी राशि का दावा किया है ?

(घ) क्या कोई राशि उन्हें दी गई ? तथा यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) १९ फ़र्वरी, १९४५ को बरालीमारा के कुछ चरवाहों को जिन में श्री कृष्णलाल शर्मा भी एक हैं, नोटिस दिया गया था कि वे काजीरंगा के रक्षित जंगलों को खाली कर दें जहां २० फ़र्वरी, १९४५ को तोपखाने का अभ्यास दिया जाना था।

(ख) जी हां।

(ग) ४०,०५५ रुपये।

(घ) आसाम सरकार ने इस विषय में केन्द्रीय सरकार का ध्यान पहली बार मई १९५१ में दिलाया था तथा यह लिखा था कि चरवाहों को हानिपूर्ति का कोई हक नहीं है, परन्तु प्रतिष्ठा के नाते उन्हें कुछ सहायता दी जानी चाहिये। उन्हें और अधिक जानकारी भेजने के लिये लिखा गया था, परन्तु इस विषय में अभी कोई उत्तर नहीं मिला है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या सरकार इस मामले में पूछताछ करेगी तथा यह मालूम करेगी कि क्या चरवाहों को हानिपूर्ति का कोई हक है या नहीं ?

श्री गोपालस्वामी : भारत सरकार का प्रथम विचार तो यही है कि उन्हें कुछ हानिपूर्ति का हक है। परन्तु फ़ैसला करने तथा राशि के निश्चित करने के लिये उन्होंने आसाम सरकार से अग्रेतर जानकारी मांगी है तथा उसके मिलने पर कोई फ़ैसला किया जायगा।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं जान सकता हूं कि क्या हानिपूर्ति को निश्चित करते समय इतना अधिक समय जो बिना किसी हानिपूर्ति के बीत चुका है ; विचार में रखा जायेगा ?

श्री गोपालस्वामी : जितना समय उन्होंने कठिनाई तथा असुविधा को सहन किया है, वह निश्चय ही ध्यान में रखा जायेगा।

हैदराबाद की अनुसन्धान संस्था

*२३७८. **श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की देखरेख में हैदराबाद में कोई वैज्ञानिक संस्था या अनुसन्धान संस्था काम कर रही है ;

(ख) यदि ऐसा है तो सन् १९५१ में क्या प्रगति की गई है; तथा

(ग) उसी वर्ष में इन संस्थाओं पर क्या व्यय किया गया ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय): (क) से (ग) तक . नहीं, श्रीमान्।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या सरकार उस राज्य में निकट भविष्य में कोई संस्था बनाने का विचार कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : हैदराबाद में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान की एक केन्द्रीय संस्था काम कर रही है जिसे राज्य सरकार चला रही है। जैसा कि मैंने बतलाया, केन्द्रीय सरकार का प्रत्यक्ष रूप से कोई नियन्त्रण नहीं है।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या केन्द्रीय सरकार उस संस्था के कार्यभार को सम्भालने का विचार कर रही है ?

प्रधानमंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : वास्तव में, कार्यभार को सम्भालने या न सम्भालने के प्रश्न के अतिरिक्त, उक्त संस्था को केन्द्रीय प्रयोगशालाओं के बड़े घनिष्ट सहयोग से चलाया जा रहा है तथा यह एक विचारनीय विषय है।

गुदूर (मद्रास राज्य) के अभ्रक के संचित माल की जांच पड़ताल

*२३७९. **श्री नानादास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आय-कर के बारे में सरकार की आय को सुरक्षित करने के लिये मद्रास राज्य के गुदूर के अभ्रक संचित माल तथा लेखों की जांच पड़ताल का उत्तरदायित्व किन अधिकारियों पर है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : जब तक धारा ५ (७५) के अन्तर्गत विशेष आदेश जारी न किये जायें, लेखों की जांच पड़ताल आय-कर अधिनियम की धारा ६४ के अन्तर्गत इन मामलों के प्रभारी आय-कर अधिकारी करते हैं। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आय-कर अधिकारी संचित माल की वास्तविक रूप से जांच पड़ताल नहीं कर सकते।

मैं यह भी बतला दूं कि मेरी सूचना के अनुसार १५·२२७ लाख रू० की छुपाई हुई आय को तब से अभ्रक की खानों के मालिक तथा अभ्रक के व्यापारियों ने प्रकट कर दिया है।

श्री नानादास : क्या मैं इन अभ्रक के खान-मालिकों तथा व्यापारियों के नाम जान सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी सूचना के देने की इजाजत नहीं है।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या अभ्रक-इन्स्पैक्टरों की भांति अभ्रक के संचित माल तथा तत्सम्बन्धी लेखों की जांच पड़ताल कोई और अधिकारी भी करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में इस का कोई उत्तर नहीं।

प्रश्नों का घंटा समाप्त।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सैनिकों का सहायता कार्य पर लगाया जाना

* २३६२. **श्री बाल्मीकी : रक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण भारत के अकालग्रस्त क्षेत्रों में कितने सैनिकों को सहायता के कार्य पर लगाया गया था ;

(ख) कितने समय के लिये उन्हें लगाया गया था; तथा

(ग) उनके प्रयत्नों के क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) लगभग १००० को ।

(ख) २१ अप्रैल, १९५२ से लेकर ।

(ग) रियालसीमा ।

१०१ कुंओं को खोदा गया तथा गहरा किया गया । वर्षा के कारण २३ कुंओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार की प्रार्थना पर काम को छोड़ दिया गया था । प्रत्येक स्थान से स्थानीय जनता को ३०,००० गैलन पानी प्रति दिन दिया गया था ।

दूसरे ज़िलों में १४ कुंएं गहरे किये गये हैं। उनका वृत्तान्त इस प्रकार से है :—

कोइम्बटोर	६ कुंएं
चैट्टीनाडु	६ कुंएं
सलेम	२ कुंएं

३८ और कुंओं को गहरा खोदने का काम ज़ारी है ।

भाषा सम्बन्धी संस्थायें

* २३८०. **श्री लोकनाथ मिश्र : शिक्षा** मंत्री वर्ष १९५१-५२ में मंत्रालय की क्रियाशीलता सम्बन्धी रिपोर्ट के १७-१८ पृष्ठों का तथा १९५२-५३ के कार्यक्रम का निर्देश करेंगे तथा बतलायेंगे कि :

(क) निम्नलिखित दो भाषा सम्बन्धी संस्थायें कौनसी भाषाओं को विकसित तथा प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा वे और किन किन कामों में विस्तार करने का विचार कर रही हैं

(१) अंजमने तरक्किये उर्दू (भारत)

(२) दी लिंगुइस्टिक सोसाइटी आफ इण्डिया, कलकत्ता, (भारतीय भाषा सम्बन्धी संस्था कलकत्ता) ; तथा

(ख) क्या भारत में कोई और भी ऐसी संस्थायें हैं जिन्हें उपरोक्त दो भाषाओं की तरह आर्थिक सहायता की ज़रूरत है तथा उन्होंने इसके लिये प्रार्थना की है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) (क) (१)जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अन्जुमने तरक्किये उर्दू द्वारा उर्दू भाषा को अथवा इसके अधिक लोकप्रिय रूप हिन्दुस्तानी को विकसित तथा प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

(२) दी लिंगुइस्टिक सोसाइटी आफ इण्डिया किसी विशेष भाषा का विकास करना नहीं चाहती है । यह केवल भारत के विशेष निर्देश से भाषा सम्बन्धी अध्ययन तथा अन्वेषण से ही सम्बन्ध रखती है । यह एक त्रिमासिक पत्रिका ' भारतीय भाषाओं के विद्वान ' प्रकाशित करती है तथा भारतीय भाषाओं पर विशेष लेख लिखवाती है ।

(ख) जी हां ।

रोमन लिपि में देवनागरी

* २३८१. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या **शिक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या देवानागरी को रोमन लिपि में लिखने की कोई योजना सरकार के सामने है; तथा

यदि कोई है तो क्या निकट भविष्य में इसको पूरा किये जाने की कोई सम्भावना है ?

शिक्षा प्राकृतिक संसाधन वैज्ञानिक तथा अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारत में पुर्तगाली बैंक

२३८२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारतम उन बैंकों की शाखाओं की संख्या कितनी है जो कि पुर्तगाल अथवा किसी पुर्तगाली प्रदेश में निगमित हैं और यह शाखाएं किन किन स्थानों में हैं ;

(ख) क्या किसी भारतीय बैंक की शाखाएं गोआ, डामन, डयू या पुर्तगाली प्रदेश के किसी अन्य स्थान में हैं; तथा

(ग) क्या पुर्तगाली सरकार ने निकट भूतकाल में या गत चार वर्षों में किसी भारतीय बैंक को पुर्तगाली प्रदेश में अपनी शाखा खोलने की अनुमति देने से इन्कार किया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) केवल एक बैंक की ही--अर्थात बैंकों नैशनल अल्ट्रामेरिनो की--जो पुर्तगाल में निगमित है, भारत में बम्बई में शाखा है।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) इस सम्बन्ध में ध्यान मेरे द्वारा सदन में ८ अगस्त, १९५० को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ३४० के उत्तर की ओर दिलाया जाता है। बाद में अक्तूबर, १९५१ में केवल एक भारतीय बैंक ने गवा में शाखा के खोलने की इजाज़त मांगी है। यह प्रार्थनापत्र अभी तक लिज़बन में पुर्तगाली सरकार के विचाराधीन है।

कोर्ट मार्शल

*२३८३. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** **रक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन १९५१-५२ के अर्थिक वर्ष में कितने मामलों में कोर्ट मार्शल दण्ड दिया गया तथा रक्षा सेवाओं के कितने कर्मचारियों को ;

(ख) कितने व्यक्तियों को ३ वर्ष से अधिक दण्ड दिया गया था ; तथा

(ग) क्या उक्त कोर्ट (न्यायालय) के फैसलों के विरुद्ध अपील भारत के उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी): (क) १६१ मामले जिन में १७२ व्यक्तियों का सम्बन्ध था।

(ख) १५।

(ग) जी नहीं।

पश्चिमी बंगाल का आय कर विभाग

*२३८४. **श्रीमती मायादेवी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के आय-कर विभाग में काम करने वाली कितनी महिलाओं ने जनवरी से दिसम्बर १९५१ तक पक्की नौकरी के लिये आवश्यक योग्यताएं प्राप्त कर ली ह; तथा

(ख) इनमें से कितनी महिलाओं की डाक्टरी परीक्षा हो चुकी है जो कि पक्का होने के लिये नियमों के अन्तर्गत ज़रूरी है।

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी): (क) इन महिलाओं के डाक्टरी परीक्षा में सफल रहने तथा अन्यथा सरकारी नौकरी के लिये उपयुक्त समझे जाने के अधीन जैसा कि यह बात सरकारी कर्मचारियों पर

लागू होती है आय-कर विभाग की १६ महिलाओं ने जनवरी १९५१ से दिसम्बर १९५१ तक नौकरी में पक्का होने की योग्यता दिखाई है। उनमें से १३ को पहले ही पक्का किया जा चुका है तथा शेष ३ के बारे में अभी विचार हो रहा है।

(ख) विभाग द्वारा किसी की डाक्टरी परीक्षा नहीं की गई। परन्तु उन्हें असरकारी महिला-डाकटरों से स्वस्थ्य होने के प्रमाणपत्रों को पेश करने की इजाजत दी गई थी।

उत्तर प्रदेश में भौमिकी पर्यालोकन

***२३८५. श्री भक्त दर्शन: क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के पांच पहाड़ी जिलों अर्थात् (१) अल्मोड़ा (२) नैनीताल (३) गढ़ वाल (४) टेहरी गढ़ वाल तथा (५) देहरादून में गत पांच वर्षों में (प्रत्येक वर्ष के क्रम से) कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में पर्यालोकन कार्य किया गया है ; तथा

(ख) वर्ष १९५२-५३ अर्थात् चालू वर्ष में इन जिलों में खनिज पदार्थों के पर्यालोक सम्बन्धी कार्यक्रम क्या हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी के सम्बन्ध में एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २०**]

आयकर, बहिः शुल्क तथा उत्पादनशुल्क

६६२. श्री मुरारका: क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) सन् १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में प्रत्येक राज्य से आय-कर अधि-कर, निगम-कर तथा व्यापार-लाभ कर के संग्रह पर क्रमश: कितना व्यय किया गया है ;

(ख) १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में प्रत्येक पत्तन पर बहि-शुल्कों के संग्रह पर क्रमश: कितना व्यय हुआ है ;

(ग) प्रत्येक राज्य से तथा प्रत्येक वस्तु के संबंध में उत्पादन शुल्क के संग्रह पर कितना व्यय हुआ है।

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी): एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११ अनुबन्ध संख्या २१**]

(ख) प्रत्येक छोटे पत्तन पर बहि-शुल्क के एकत्र करने के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध आंकड़े इस प्रकार से हैं:—

(आंकड़े लाख रुपयों में)

पत्तन का नाम	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२
१. बम्बई पत्तन	४८.१	४५.५	५१.१
बम्बई राज्य के छोटे छोटे पत्तन	५.४	११.०	१०.२
सौराष्ट्र राज्य के छोटे छोटे पत्तन	—	४.७	७.३
२. मद्रास तथा कोचीन के पत्तन	१०.९	१४.०	१४.१
मद्रास तथा त्रावनकोर-कोचीन के छोटे छोटे पत्तन	१८.९	२१.७	२४.९
३. कल्कत्ता पत्तन	३८.७	४०.४	४२.०

इस व्यय में बोर्ड के कार्यालयों के अधीक्षण (देख रेख) संबंधी व्यय शामिल नहीं है।

(ग) १९४९-५० तथा १९५०-५१ के संबंध में उपलब्ध ज़ानकारी सदन पटल पर रखी जाती है। १९५१-५२ के संबंध में कोई जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है तथा जब उपलब्ध हुई, उसे सदन पटल पर रख दिया जायगा।

राजस्थान में खनिज पदार्थों के उत्पाद

६६३. **श्री बलवन्त सिन्हा महता:** **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(१) जयपुर तथा उदयपुर में लावा के प्रभाप के स्टीयलाइट के बारे में किए गए अनुसंधान; तथा

(२) कोटा, मारवाड़ तथा बीकानेर में शीशे के बनाने की विभिन्न प्रकार की रेत तथा मिट्टी की जांच पड़ताल से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसधान मंत्री (मौलाना आज़ाद): अपेक्षित जानकारी के संबंध में एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २२**]

बुनियादी शिक्षा

६६४. **श्री बाल्मीकी:** क्या **शिक्षा** मत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में उन स्कूलों की संख्या कितनी है जिन में विद्यार्थियों को बुनियादी शिक्षा दी जाती है; तथा

(ख) सन् १९५१-५२ में बुनियादी शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) तथा (ख), अपेक्षित सूचना संबंधी एक विवरण संलग्ण है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध सख्या २३**]

शस्त्रादि का चौर्यानयन

६६५. **श्री जांगड़े:** क्या **वित्त** मंत्री ऐसे व्यक्तियों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे जो कि चीन, बर्मा, मलाया, तिब्बत, पाकिस्तान तथा अन्य विदेशों से बन्दूकों, पिस्तौलों, बम या इसी प्रकार के अन्य शस्त्रास्त्र तथा युद्ध सामग्री चोरी से भारत में लाते हुए पकड़े गये हैं ?

(ख) इस प्रकार के शस्त्रादि लाने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी): पिछले आर्थिक वर्ष में अर्थात् १९५१-५२ में, ६ मामले ऐसे पकड़े गये जिन में भारतीय शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत मान्य लाइसेंस के बिना शस्त्र लाये गये थे तथा जिन में भारत में दाखिल होने के स्थान पर बहि-शुल्क अधिकारियों के सामने मान्य घोषणा नहीं की गई थी। इन अनधिकृत आयातों में ६ व्यक्ति शामिल थे। इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं कि हर मामले में ये शस्त्र किस देश से लाए गए।

(ख) उपरोक्त छः में से २ मामलों में, अपराधियों को न्यायालयों द्वारा दण्ड दिया गया तथा एक मामले में मुकदमा अभी चल रहा है। शेष के तीन मामलों में से एक के विषय में सामुद्रिक बहि:शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत शस्त्रों को इस शर्त के अधीन जब्त कर लिया गया था कि उनका मालिक या तो अपेक्षित लाइसेंस पेश करके उन शस्त्रों के बदले में जुरमाना देकर उन्हें वापस ले ले अथवा जुरमाना देकर उन्हें वापस निर्यात कर ले। २ मामलों में हथियारों को जब्त नहीं किया गया तथा इन में इस बात की इजाजत दी गई कि या तो उन्हें पुनः निर्यात कर दिया जाय या अपेक्षित लाइसेंस पेश किया जाय।

युवक कल्याण गोष्ठी

६६६. **श्री एस० एन० दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला में की गई युवक कल्याण गोष्ठी द्वारा की गई किन किन सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया है तथा उन्हें कार्यान्वित करने का निश्चय कर लिया है ;

(ख) उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; तथा

(ग) इस योजना के अन्तर्गत सरकार को कितना व्यय करना होगा ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) शिमला में नवम्बर, १९५१ में की गई युवक कल्याण गोष्ठी की बड़ी बड़ी सिफारिशें इस प्रकार से हैं :—

(१) सरकार, समुचित संस्थाओं के परामर्श से, उन संस्थाओं के संबंध में जांच पड़ताल का काम अपने हाथ में ले जो सक्रिय रूप से युवक कल्याण के कार्य में व्यस्त हैं तथा इस अभिप्राय से उनके संविधान, कार्यक्रम, संसाधनों तथा प्रशिक्षण के तरीकों का पर्यवेक्षण करे ।

(२) सरकार युवक संस्थाओं के प्रतिनिधियों का परस्पर परामर्श के अभिप्राय से यथाशीघ्र एक सम्मेलन बुलाए ।

(३) सरकार अगले वर्ष के बजट में युवक कल्याण कार्य के लिए समुचित राशि की व्यवस्था करे जिसमें से वह संतोषजनक कार्य करने वाली संस्थाओं को काफ़ी अनुदान दे सके तथा जहां आवश्यक हो, अपनीयोजनाऐं चला सके ।

(४) सरकार केन्द्र में शिक्षा मंत्रालय में या सामाजिक सेवाएं अथवा लोक-कल्याण नाम का एक विभाग स्थापित करे जो विशेषतः युवक कल्याण संबंधी काम करे तथा राज्यों या प्रान्तों में भी उसी प्रकार के विभागों की स्थापना को प्रोत्साहन दे ।

(५) सरकार, विश्वविद्यालयों को तथा अच्छे स्तर की अन्य संस्थाओं को तथा विशिष्टता प्राप्त संस्थाओं को अनुदान दे जिससे युवक कल्याण के क्रिया कार्य तरीक़े निकाले जा सकें तथा उनका विकास किया जा सके ।

(६) सरकार विशिष्टता प्राप्त संस्थाओं के सहयोग से प्रत्येक क्षेत्र तथा प्रांत में युवक कल्याण के काम में एक मार्गदर्शक योजना तैयार करे अथवा करने में सहायता दे जिसका उद्देश्य अपने अपने क्षेत्र में युवक सेवाओं को बड़े विस्तार से तथा सहयोजित तरीक़े से विकसित करना हो ।

(ख) सरकार ने देश में युवक संस्थाओं के प्रारम्भिक पर्यवेक्षण का काम पहिले से आरम्भ कर रखा है । शेष की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के प्रश्न पर पर्यवेक्षण के समाप्त होने पर विचार किया जायगा ।

(ग) इस क्रम पर व्यय संबंधी किसी ठीक ठीक अनुमान का बतलाना संभव नहीं ।

उड़ीसा में खुदाई का काम

६६७. **श्री संगण्णा :** क्या **शिक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१९४९, १९५० तथा १९५१) के पिछले तीन वर्षों में प्राचीन एतिहासिक स्मारकों के खोजने में कितने खुदाई के कार्य आरम्भ किये गये थे ?

(ख) इस काल में खुदाई पर कितना धन व्यय किया गया था ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) वर्ष १९४८-४९ तथा १९४९-५० में उड़ीसा में दो स्थानों, अर्थात् शिशुपालगढ़ तथा धौली पर खुदाई का कार्य आरम्भ किया गया था। दोनों स्थान जिला भुवनेश्वर में हैं। वर्ष १९५१ में उड़ीसा में कोई खुदाई का काम आरम्भ नहीं किया गया था।

(ख) १९४८-४९ में ८७,००० रु० तथा १९४९-५० में लगभग २८,००० रु० उड़ीसा में खुदाई के कार्यों पर व्यय किए गए थे।

सामुद्रिक विद्या

६६८. श्री एस० सी० सामन्त: क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार भारत में सामुद्रिक विद्या के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय कर रही है;

(ख) क्या भारत में उपलब्ध उपकरणों तथा प्राविधिक कर्मचारियों के बारे में जानकारी का संग्रह किया जा रहा है; तथा

(ग) क्या भारत के किसी विश्वविद्यालय ने भू-भौतिकी तथा सामुद्रिक विद्या के बारे में किसी पाठ्यक्रम को आरम्भ किया है?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) भू-भौतिकी संबंधी केन्द्रीय बोर्ड के अन्तर्गत संगठित सामुद्रिक विद्या समिति समस्त उपलब्ध साधनों को काम में लाते हुए सामुद्रिक विद्या संबंधी अनुसंधान कार्य को संगठित कर रही है। यह समिति भारत में किसी उपयुक्त स्थान सामुद्रिक विद्या संबंधी संस्था की स्थापना के विचार से सामुद्रिक विद्या संबंधी अध्ययन के सहयोजन एकीकरण और तीव्रता से बढ़ाने के अभिप्राय से एक योजना भी तैयार कर रही है। जल के नमूनों के संग्रह तथा भौतिकीय सामुद्रिक विद्या तथा सामुद्रिक जीव-विज्ञान के अध्ययन के कार्य को भारतीय व्यापारिक नौपरिवहन तथा सामुद्रिक पर्यालोकन की सहायता से भू-भौतिकीय केन्द्रीय बोर्ड द्वारा पहिले से ही आरम्भ कर दिया गया है।

(ख) हां, श्रीमान्। इस सूचना को केन्द्रीय भू-भौतिकीय बोर्ड द्वारा एकत्र किया जा चुका है।

(ग) हां, श्रीमान्। आन्ध्र तथा बनारस हिंदू विश्व विद्यालयों ने एम० एस० सी० उपाधि के लिए भू-भौतिकीय के पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। आन्ध्रविश्व विद्यालय ने भू-भौतिगीय विद्या के पाठ्यक्रम में सामुद्रिक विद्या को भी शामिल कर लिया है। हिजली का भारतीय शिल्पिक विद्यालय शीघ्र ही भू-भौतिकी विद्या के संबंध में एक पाठयक्रम को आरम्भ करेगा।

साधारण निर्वाचन

६६९. श्री संगण्णा: क्या **विधि** मत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में हुए साधारण चुनावों में सेवायुक्त सरकारी कर्मचारियों को अधिक समय के लिए काम करना पड़ा था; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो प्रत्येक राज्य ने अधिक समय काम लेने के संबंध में कितना व्यय किया है?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास): (क) हां, श्रीमान्, सिवाय बिहार राज्य के।

(ख) आसाम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल,

हैदराबाद, मध्य भारत, पैप्सू, त्रावनकोर, कोचीन, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच, मनीपुर, त्रिपुरा तथा विन्ध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने चुनावों के संबंध में काम पर लगाए गए कर्मचारियों को अधिक समय काम करने के संबंध में कोई भत्ता नहीं दिया है।

कुछ राज्य सरकारों ने अधिक समय काम करने के लिए भत्ता दिया था तथा उसकी राशि इस प्रकार से है :

	रु० आ० पा०
मैसूर	२४२ ० ०
सौराष्ट्र	२०१० ० ०
बिलासपुर	१७९ ९ ०

कुछ राज्य सरकारों ने माननीय रूप में उन्हें कुछ धन अवश्य दिया था तथा वह इस प्रकार से हैं :—

उड़ीसा	१,०७५
राजस्थान	१६,०००
अजमेर	५७५
भोपाल	४,४५०

मद्रास राज्य सरकार ने सचमुच दूरवर्ती स्थानों से आने वाले व्यक्तियों को उस व्यय को लौटाया है जो उन्हें अपनी जेब से करना पड़ा था अथवा ऐसे विषयों में भुगतान किया है जिनमें कर्मचारियों को देर से बैठकर काम करना था तथा छुट्टियों के दिन काम करने से कर्मचारी अपने घरों में जाकर खाना नहीं खा सकते थे क्योंकि उससे काम में अस्त-व्यस्तता आ जाती थी। मद्रास सरकार ने इस मद पर ३०,६९६-८-० व्यय किए हैं।

रजवाडी हवाई अड्डा

६७०. **श्री गणपति राम :** रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रजवाड़ी (उत्तर प्रदेश) हवाई अड्डे तथा लोहता (बनारस) के रक्षित अड्डे बनाने के लिये पिछले बुद्ध में दी गई जमीनों को उनके मालिकों को लौटा दिया गया है ;

(ख) कितनी जमीनें अभी लौटाई जानी बाक़ी हैं तथा उन्हें कब तक लौटा दिया जायगा ;

(ग) क्या अधिग्रहण के समय के लिए जितनी देय हानिपूर्ति थी, वह दे दी गई है ; तथा

(घ) यदि अभी नहीं तो कितनी राशि अभी दी जानी है तथा इसके कब तक दिये जाने की आशा की जाती है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) रजवाड़ी हवाई अड्डे के संबंध में ४४४·३८ एकड़ में से ३०९·०७ एकड़ भूमि को जून १९४७ में विभिन्न मालिकों को लौटा दिया गया है तथा शेष के १३५.३१ एकड़ को २० मार्च, १९४५ को सीधे ही ले लिया गया था ;

(२) लोहता का रक्षित अड्डा:— कुल २,८८९ एकड़ में से २,८७८·३९ एकड़ अधिगृहीत भूमि को १९४८, १९४९ तथा १९५० में विभिन्न तिथियों को उनके मालिकों को लौटा दिया गया था।

(ख) (१) रजवाड़ी हवाई अड्डे पर शून्य।

(२) लोहता पर १०.६१ एकड़ भूमि अभी लौटाई जाने वाली है तथा इसे अक्तूबर, १९५२ तक वापस कर दिया जायगा।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

(घ) ५७,७९२ रु० अभी दिये जाने बाक़ी हैं तथा इनका भुगतान शीघ्र कर दिया जायगा।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये युद्ध-उपरान्त पुनर्वास निधि

६७१. **श्री भक्त दर्शन :** क्या रक्षा मंत्री ७ जुलाई, १९५२ को दिये गए मेरे

तारांकित प्रश्न संख्या ३५३ के उत्तर का निर्देश करते हुए बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय विश्व युद्ध में उत्तर प्रदेश के ५१ जिलों में से हर एक जिले से कितने व्यक्ति भारतीय सेना में भर्ती हुए थे ; तथा

(ख) राज्य सरकार ने प्रत्येक जिला के लिये भूतपूर्व-सेनिकों के लिये युद्ध-उपरांत पुनर्वास निधि में क्रमश? कितना अनुदान दिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी): (क) ३-९-३९ से ३०-९-४५ तक उत्तर प्रदेश के ४८ जिलों में से—जो उस समय उत्तर प्रदेश प्रांत के जिलों की संख्या थी—भर्ती किए गए सैनिकों की संख्या संबंधी एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २४]**

टेहरी गढ़वाल तथा दूसरी छोटी रियासतों में से, जो तब से उत्तर प्रदेश के साथ मिलाई जा चुकी हैं। भर्ती किए गए सैनिकों की संख्या का वृतांत विवरण के अन्त में दिया गया है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी को राज्य सरकार से भेजने के लिये कहा गया है ।

हैदराबाद राज्य से प्राप्त हुये चुनावों सम्बन्धी प्रार्थनापत्र

६७२. श्री एच० जी० वैष्णव: क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद राज्य में चुनावों के संबंध में दिए गए प्रार्थनापत्रों का फैसला करने के लिए किन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है तथा किन स्थानों पर ; तथा

(ख) उन अनर्हीकृत अभ्यर्थियों के नाम, उनके एजन्टों के नाम तथा संख्या कितनी है जिन्हें नियत समय के अन्दर तथा निश्चित रीति से व्यौरों के न भेजने के कारण से ऐसा घोषित किया गया है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास) : (क) जनाब सैयद तक़ी बिलग्रामी, जिला तथा सत्र न्यायाधीश सिकन्द्राबाद (दक्षिण) को ७ जुलाई, १९५२ को हैदराबाद राज्य के तीन उम्मीदवारों द्वारा दिये गए तीन प्रार्थना पत्रों में फैसला करने के लिए स्थापित किए गए अधिकरण का सभापति नियुक्त किया गया है । अधिकरण के बाक़ी दो सदस्यों को उस समय नियुक्त किया जायगा जब ये मामले सुनने के लिए पूर्णत: तैयार हो जायेंगे । इन को सिकन्द्राबाद में सुनने का फैसला किया गया है ।

(ख) यह कल्पना करते हुए कि प्रश्न के इस भाग का संबंध हैदराबाद राज्य से है, (तीन भागों में) एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है जिसमें उन उम्मीदवारों तथा उनके एजन्टों के नामों का उल्लेख किया गया है जिन्हें धारा (७) के खंड (सी) के अन्तर्गत या जन-प्रतिनिधान अधिनियम, १९५१ की धारा १४३ के अन्तर्गत इसलिए अनर्हीकृत घोषित किया गया है कि वह (क) लोक-सभा (ख) राज्य-परिषद तथा (ग) राज्य की विधान सभा के लिये हैदराबाद राज्य से चुने जानें के बारे में नियत समय के अन्दर तथा विधि वत रीति से चुनाव पर किए गए व्यय के संबंध में व्यौरों के भेजने में असमर्थ रहे हैं । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २५]**

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिमजातियां

६७३. श्री जी० एल० चौधरी: क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना में काम कर रहे कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों तथा कितने व्यक्ति अनुसूचित आदम जातियों से संबंध रखते हैं ;

(ख) इनमें से कितने व्यक्ति अधिकारीवर्ग में हैं तथा कितने अन्य पदों पर काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या अधिकारियों तथा अन्य पदों पर काम कर रहे व्यक्तियों की संख्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के लिए रक्षित स्थानों के बराबर है ; तथा

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर नहीं में है तो सरकार उनके अभ्यंश को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) तथा (ख) सशस्त्र सेनाओं में काम कर रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के संबंध में पृथक पृथक रूप से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) तथा (घ) : राज्य, नस्ल तथा धर्म का विचार किए बिना सभी जातियों के लोग सशस्त्र सेनाओं में भर्ती हो सकते हैं। किसी विशेष समुदाय के लिये कोई स्थान रक्षित नहीं किए जाते हैं।

औरंगाबाद जिले (हैदराबाद) में भू-अर्जन

६७४. **दीवान राघवेन्द्र राव :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) औरंगाबाद जिला में (हैदराबाद राज्य) सरकार ने अभी तक सेना के प्रयोजनों से कितनी भूमि अर्जित की है ;

(ख) इसके कितने भाग को प्रयोग में लाया जा रहा है तथा कितना भाग बेकार पड़ा है ;

(ग) क्या उस राज्य के क़ानून छावनी की कृषि संबंधी भूमि पर लागू हो सकते हैं या कि सारी शक्ति केन्द्रीय सरकार में निहित है ;

(घ) सरकार बेकार पड़ी भूमि का क्या लाभ उठाना चाहती है ; तथा

(ङ) क्या इस भूमि के पहले के मालिकों को इसके वापस किये जाने की मांग करने का अधिकार है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) (क) कोई भूमि अर्जित नहीं की गई।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) सिवाय कुछेक मामलों के राज्य के कानून छावनी की जमीनों पर लागू नहीं होते। ये जमीनें केन्द्रीय सरकार की संपत्ति हैं।

(घ) तथा (ङ) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सेना की चमड़े की वस्तुओं सम्बन्धी आवश्यकतायें

६७५. **श्री के० सी० साधया :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५१-५२ में भारतीय सशस्त्र सेनाओं की चमड़े की वस्तुओं संबंधी क्या आवश्यकताएं थीं ; तथा

(ख) इसमें से कितने भाग को भारत की आर्डनेन्स फैक्ट्रियों में से पूरा किया गया था तथा कितनी आवश्यकताएं (क) स्वदेशी तथा (ख) विदेशी मंडियों से पूरी की गई थीं।

रक्षा मंत्री (श्री गोपालास्वामी) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ?

[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २६]

टंगस्टन

६७६. **श्री के० सुब्रह्मण्यम :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में भारत में कच्चे टंगस्टन का कितना उत्पादन हुआ है ;

(ख) कितने मूल्य की धातु का निर्यात किया गया तथा किन किन देशों को; तथा

(ग) कच्ची धातु की देश के अन्दर कितनी मांग रही ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (ग) तक। अपेक्षित जानकारी के संबंध में एक विवरण, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११ अनुबन्ध संख्या २७]**

सैनिक अस्पतालों में असैनिक डाक्टर

६७७. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन छावनी के बड़े अस्पतालों के प्रभारी डाक्टर असैनिक व्यक्ति हैं ;

(ख) उनकी वेतन श्रेणियां तथा भत्ते क्या क्या हैं ;

(ग) उन डाक्टरों की योग्यताएं क्या हैं ;

(ख) क्या ऐसे डाक्टरों के सबंध में कोई नियम या सिद्धांत निश्चित किए गए हैं तथा यदि हां तो इसके ब्यौरे क्या हैं ; तथा

(ग) क्या इन प्रभारी डाक्टरों तथा सेना के डाक्टरी दस्तों से लिए गए व्यक्तियों के वेतन तथा भत्तों में कोई अन्तर है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) औरंगाबाद छावनी तथा लैन्सडाउन छावनी।

(ख) (१) औरंगाबाद

(हाथी सिक्का) ३५०–३५०–२०–४१०–क्षमता रोक २०–४५०–२५–५२५–२५–६०० तथा महंगाई भत्ता जो मूल वेतन का १७ १/२ प्रतिशत भाग होगा।

(२) लैन्सडाउन,

२७५ रु० निश्चित तथा २० रु० महंगाई भत्ता।

(ग) वर्तमान पदधारियों की योग्यताएं इस प्रकार से हैं :—

(१) औरंगाबाद—एम० बी० बी० एस०

(२) लैन्सडाउन—एम० बी० बी० एस० एम० आर० सी० एस० (इंग) ; ए ल० आर० सी० पी० (लंदन) तथा टी० डी० डी० (वेल्ज)।

(घ) जी नहीं, सिवाय इस बात के कि छावनी के बड़े अस्पताल के प्रभारी डाक्टर अधिकारी को अस्पताल में काम करने के घंटों के बाद या पहले निजी काम करने की इजाजत होती है। डाक्टर अधिकारियों को अस्पताल में रोगियों को देखने आदि के लिए कोई शुल्क या फ़ीस आदि नहीं दी जाती है।

(ङ) जी हां। असैनिक डाक्टरों की वेतन-श्रेणियों को, जो छावनी बोर्डों के कर्मचारी होते हैं, छावनी बोर्डों द्वारा स्थानीय परिस्थिति के अनुसार निश्चित किया जाता है। सेना के डाक्टरी दस्ते में से लिए गए डाक्टर अधिकारी कमीशन प्राप्त अधिकारी होते हैं तथा वे सरकार के सेवक होते हैं। उन्हें अपने पद, वेतन के इलावा १०० रु० से १३० रु० तक का भत्ता कुछ समय के लिए छावनी के बड़े अस्पतालों के प्रभारी अधिकारियों के कर्त्तव्यों के पालन के संबंध में दिया जाता है।

लारेंस स्कूल, सनावर

६७८. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) , क्या लारेंस स्कूल, शिमला हिल के प्रबन्ध भार के किसी असरकारी संस्था को सौंपे जाने की कोई प्रस्थापना की गई है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) :

(क) जी हां ।

(ख) सरकार ने इस संबंध में पहले से एक संकल्प जारी कर रखा है ।

इंजीनियरिंग कालिजों सुरक्षास्थानों का सुरक्षण

६७९. श्री बी० डी० शास्त्री : शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन राज्यों के विद्यार्थियों को जहां इंजीनियरिंग कालिज नहीं हैं, सामान्यतया अन्य राज्यों केइंजीनियरिंग कालिजों में प्रविष्ट नहीं किया जाता ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : जी नहीं । सामान्यतया स्थिति इस प्रकार की नहीं है । वास्तव में, इंजीनियरी के कई कालिजों में उन राज्यों के विद्यार्थियों को दाखिल करने की व्यवस्था की गई है, जहां पर इंजीनियरी शिक्षा की सुविधाएं विद्यमान ही नहीं हैं या काफ़ी नहीं हैं ।

Thursday 31, July, 1952

अंक ४

संख्या १

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

(First Session)

Preservation Unit
Fumigated On 20/10/87
Parliament Library

लोक सभा

शासकाय वृत्तान्त

हिन्दीं संस्करण

——:o:——

भाग २——प्रश्न और उत्तर से पृथक कार्यवाही

विषय-सची

स्थगन प्रस्ताव——

आसाम में बाढ़ [पृष्ठ भाग ३८१७]

राज्य परिषद् से संदेश [पृष्ठ भाग ३८१७-३८१८, ३८७३]

राष्ट्रीय छात्रसेना निकाय (संशोधन) विधेयक——राज्य परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रख दिया गया [पष्ठ भाग ३८१८]

पटल पर रखा गया पत्र——अनसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन [पृष्ठ भाग ३८१९]

रक्षित तथा सहायक वायुसेना विधेयक——संयक्त समिति का प्रतिवेडदन प्रस्तुत करने की अवधि का विस्तार [पृष्ठ भाग ३८१९]

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक—धारा ४९७ का संशोधन—वापिस लिया गया [पृष्ठ भाग ३८१९——३८२७]

(मूल्य ६ आने)

471 PSD

अस्वस्थों का बन्ध्यीकरण विधेयक—विचार किया जाने का प्रस्ताव—अस्वीकृत [पृष्ठ भाग ३८२७–३८४८]

हाथ करघे के कपड़े का निर्यात नियंत्रण तथा प्रमापीकरण विधयक—विचार किया जाने का प्रस्ताव—प्रस्तुत नहीं किया गया [पृष्ठ भाग ३८४८]

मुस्लिम वक्फ़ विधेयक—परिचालित [पृष्ठ भाग ३८४८—३८५२]

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक–धारा ३०२ का संशोधन—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—वापिस लिया गया [पृष्ठ भाग ३८५२—३८६२]

भारताय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—विचार किया जाने के प्रस्ताव की चर्चा—असमाप्त [पृष्ठ भाग ३८६२—३८६४]

सिंगारनी कोयला खदानों में दुर्घटना [पृष्ठ भाग ३८६४—३८७२]

निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक — संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन [पृष्ठ भाग ३८७२]

परमावश्यक प्रदाय (अस्थाई अधिकार) संशोधन विधयक—राज्य परिषद द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया [पृष्ठ भाग ३८७३—३८७६]

लोक सभा

बृहस्पतिवार, ३१ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-१५ म० पू०

सदन की कार्यवाही

अध्यक्ष महोदय : आज की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मुझे सदन को सूचित करना है कि कार्यवाही मंत्रणा समिति ने समय की बांट के विषय में अपना मत इस प्रकार दिया है कि निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को आज मंत्रियों के वेतन तथा भत्ता विधेयक के पारित होने के पश्चात लिया जाय। संयुक्त समिति के प्रतिवेदन पर सामान्य चर्चा और विधेयक पर खंडवार विचार तथा तृतीय वाचन बुधवार, ६ अगस्त, १९५२, ६-३० म० प० तक समाप्त हो जाना चाहिये।

उक्त सिपारिश को प्रभावी करने के लिए समिति ने यह सुझाव दिया है कि २ ४, ५ और ६ अगस्त को सदन मध्याह्न-पश्चात को भी बैठे। प्रधान मंत्री के जम्मू तथा काश्मीर सम्बन्धी वक्तव्य पर वाद विवाद निवारक निरोध अधिनियम

के पारित होनें के पश्चात होना चाहिए। यदि उनके सुझाव पर चला जाय तो उक्त विधेयक पर चर्चा के लिए कुल ३९ घन्टे मिल सकेंगे।

निवारक निरोध अधिनियम का बुधवार ६-३० म० प० तक पारित किया जाना अनिवार्य है अर्थात् उस दिन इनका तृतीय वाचन समाप्त हो जाना चाहिए।

इस प्रक्रम पर अग्रेतर स्पष्टीकरण के हेतु माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रश्न उठाय गए। अध्यक्ष महोदय ने बतलाया कि निवारक निरोध विधेयक को शीघ्र पारित करने का कारण यह है कि यदि ऐसा न किया गया तो राज्य परिषद् को इस पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं रहेगा। ठीक यही होगा कि मंत्रियों के वेतन सम्बन्धी विधेयक पर विचार आज समाप्त होकर कल से निवारक निरोध अधिनियम पर विचार प्रारम्भ हो जाय और उसका तृतीय वाचन बुधवार को ३-३० से ६-३० म० प० तक हो जाय। डा० लंका सुन्दरम के सुझाव पर अध्यक्ष महोदय ने विचार प्रकट किया कि भाषणों को १५ से २० मिन्टों तक सीमित रहना चाहिए। पक्षों के नेता अधिक समय ले सकते हैं। श्री दाभी (कैरा उत्तर) द्वारा यह पूछे जाने पर कि यह सत्र कब तक चलेगा अध्यक्ष महोदय ने बतलाया कि यह माननीय सदस्यों पर निर्भर है। भाषण जितने अधिक संक्षिप्त और सुसंगत रहेंगे सत्र की समाप्ति उतनी ही शीघ्र हो

[अध्यक्ष महोदय]

सकेगी। इस के अतिरिक्त बहुत कुछ दूसरे सदन पर भी निभर है क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते कि वहां इस विधेयक के पारित होने में कितना समय लग जाय। प्रधान मंत्री के पूछने पर अध्यक्ष महोदय ने बतलाया कि अब कल से प्रश्नोत्तर काल नहीं हुआ करेगा और सदन की बैठक मध्यान्ह पश्चात भी हुआ करेगी। श्री दामोदर मेनन (कोजिकोड) के प्रश्न का उत्तर देते हुए अध्यक्ष महोदय न बतलाया कि अविलम्बनीय अल्पसूचित प्रश्न पूछ जा सकेंगे।

मंत्रियों के वेतन तथा भत्ता विधेयक

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते के सम्बन्ध में उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

जैसा कि देश के समाचार पत्रों की टिप्पणियों से पाया जाता है मंत्रियों के वेतनों के सम्बन्ध में बहुत कुछ मिथ्याबोध जान पड़ता है। मेरे विचार से इन वेतनों के निर्धारण के लिए मूल सिद्धान्त यह होना चाहिए कि एक मंत्री अपने वेतन के आधार पर पर्याप्त रीति से जीवन निर्वाह कर सके और अपन कर्त्तव्यों का पालन भी। मैं नहीं समझता कि यह वांछनीय है अथवा लोकहित के अनुकूल है कि इन वेतनों का निर्धारण करते समय हम मंत्रियों से यह प्रत्याशा रखें कि वे अपने जीवन निर्वाह के लिए वेतन के अतिरिक्त अपने निजी संसाधनों का उपभोग भी करते रहें। हमारा उद्देश्य यह नहीं है। हम चाहते हैं कि मंत्रिगण समाज के प्रत्येक वर्ग में से लिए जाया करें, अर्थात् न केवल उन वर्गों में से ही जिन के पास अपने निजी संसाधन होते हैं, बरण उन में से भी जिन के पास इस प्रकार के कोई संसाधन नहीं होते। इस प्रकार की पूर्व धारणा बना लेना बड़ी भूल होगी। भूतकाल में इस प्रकार के प्रसंग देखने में आये हैं कि एक महानुभाव अवैतनिक मंत्री के रूप में काम किये जा रहे हैं। अवध के एक तालुकदार ने पांच साल गृह मंत्री का काम बिना किसी वेतन के ही किया था। परन्तु यह अंग्रेज़ी शासन काल की बात है और उक्त तालुकदार को अपनी ज़मींदारी से २२ लाख रुपया बार्षिक आय की प्राप्ति होती थी।

मैं यह सब कुछ इस लिए कह रहा हूं क्योंकि प्रस्तुत संशोधनों में विभिन्न राशियों का उल्लेख किया गया है। अत्यधिक विचार के पश्चात सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि उस स्तर पर जीवन निर्वाह करने के लिए जो उस से अपेक्षित है एक मंत्री को २२५० रुपये से कम नहीं मिलना चाहिये। इस विधेयक में एक उपबन्ध यह भी है कि मंत्री को एक पूर्णतः सुसज्जित घर भी बिना किराए के मिलना चाहिए। परन्तु उसे इस सुविधा के लिए आय-कर देना होगा। मैं ने इन सभी अंकों की पड़ताल करवाई है, अतः आय-कर का आगणन करने के पश्चात नगद वेतन और किराए के स्थान में वेतन का १२ १/२ प्रतिशत, सब मिल कर ३०,००० रुपया प्रति वर्ष बनता है और.....

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुज़फ्फरपुर मध्य) : ३०,००० रुपया सभी मंत्रियों के लिये अथवा एक के लिए?

डा० काटजू : इस से तो यही अच्छा हो जो कुछ भी वेतन न हो।

प्रत्येक मंत्री को अपने वेतन, अर्थात् २२५० रु० पर और सुसज्जित घर के लिए कुल ४८१ रु० प्रति मास आय-कर देना होगा और उसे १,७०० प्रति मास शुद्ध वेतन की प्राप्ति होगी । प्रति दिन के हिसाब से यह ५९ रु० बनते हैं । तुलना करने पर हमें पता चलता है कि जब कि एक माननीय संसद् सदस्य को ४० रु० प्रतिदिन की प्राप्ति होती है मंत्रियों को केवल ५९ रु० प्रतिदिन ही तो मिलते हैं। उपमंत्रियों को तो सुसज्जित घर भी नहीं मिलता और उनका वेतन १,७५० रु० प्रति मास है ।

मेरी गणना के अनुसार बिचारे उप-मंत्री को लगभग ४५ रु० प्रतिदिन मिलते हैं और उन्हें काम अपेक्षाकृत आठ दस घन्टे अधिक करना पड़ता है । यह वेतन अत्यधिक नहीं कहे जा सकते । ५९ रु० प्रतिदिन कुछ अधिक नहीं हैं । मंत्रिगण देश के विभिन्न भागों से आते हैं । उन में से अधिकांश को दुहरे घर की व्यवस्था करनी पड़ती है ।

उनके परिवार का कुछ भाग देहली में रहता है और कुछ उन के मूल निवास स्थानों में । उदाहरणतः तामिलनाड का रहने वाला मंत्री यही चाहेगा कि उस के बालक बालिकाएं उधर ही, तथा अपनी मातृभाषा के माध्यम द्वारा ही, शिक्षा ग्रहण करें । यही इच्छा एक बंगाली मंत्री की रहती है । इस प्रकार से उन्हें दुहरे घर की व्यवस्था करनी पड़ती है । और फिर शिक्षा पर बहुत अधिक व्यय होता है । मंत्रियों पर प्रायः बड़े बड़े उत्तरदायित्व होते हैं, अर्थात् उन्हें लड़कियों के विवाह करने होते हैं, लड़कों को शिक्षा देनी होती है काम पर लगाना होता है—और सभी कुछ इसी वेतन में। निर्वाह-परिव्यय बहुत बढ़ रहा है । माननीय सदस्य जो प्रायः कान्स्टीट्यूशन हाउस आदि में रहते हैं इस चीज को ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते, क्योंकि वहां उन्हें सभी कुछ तैयार मिल जाता है, परन्तु मंत्रियों को कई प्रकार के नौकर रखने पड़ते हैं । इस के कम में यह सब खर्च उठाना असम्भव होगा ।

प्रत्येक राज्य में जहां इस प्रकार के विधेयक पारित हुए हैं मंत्रियों के लिए राज्य की ओर से मोटर गाड़ी का प्रावधान किया गया है जिसका देख-रेख का खर्च भी राज्य को ही देना होता है । और यह खर्च ३०० रु० के लगभग जा बैठता है । दिल्ली और नई दिल्ली में मंत्री का काम बिना मोटर गाड़ी के नहीं चल सकता । माननीय सदस्य तो संसद् भवन के आस पास ही रहते हैं अतः उन्हें यहां आने जाने में कुछ कष्ट नहीं होता, पैदल चल कर भी आ सकते हैं । परन्तु मंत्रियों को दूर दूर स्थानों तक पहुंचने के लिये मोटर गाडी की आवश्यकता रहती है । कुछ एक माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किया है कि मंत्री का वेतन १००० रु० होना चाहिये । समझ में नहीं आता कि उनका आशय क्या है । सम्भवतः वे चाहते हैं कि मंत्रिगण वायु पर निर्वाह करें । उनमें से तो कुछ एक अवश्य वायु में रहते हैं । वे सदैव उड़ान में रहते हैं, कभी बर्लिन जा रहे हैं, कभी मास्को और कभी पीकिंग । मुझे प्रायः पारपत्रों के लिए आवेदन आते रहते हैं । मुझे सदैव आश्चर्य रहता है कि उनका निर्वाह किस प्रकार से होता है । प्रतिनिधित्व तो वे करते हैं गरीब और दलित वर्गों का परन्तु रहते हैं सदैव हवा में, उड़ान में । मैं नहीं जानता कि यह सब पैसा उन्हें कहां से मिलता है । मंत्रियों को ऐसी कोई निधि

[डा० काटजू]

प्राप्त नहीं है । अब रही बात किराये से मुक्त और सुसज्जित मकान की, जिसे देखकर प्रायः लोगों को ईर्षा हो उठती है । मैं यहां आने से पूर्व भारत के एक अति विशाल भवन में चार वर्ष रहा हूं । मैं स्वयं तो एक दो कमरों में भी गुजारा कर सकता हूं, किसी गांव में भी रह सकता हूं, परन्तु कितने ही लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, उन्हें बड़ी असुविधा होगी । यह जो घर मंत्री को मिलता है केवल उस के अपने ही उपभोग तथा सुविधा के लिये नहीं मिलता । मुझे अच्छे घर की आवश्यकता इस लिये रहती है कि माननीय सदस्य मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ करते रहते हैं । देश के सभी भागों से लोग आते रहते हैं । मैं उनका स्वागत कहां करूं ? किसी पीपल के पेड़ के नीचे तो यह काम होने से रहा ।

माननीय सदस्यों ने वेलिंगडन हस्पताल में चिकित्सा की व्यवस्था के संबन्ध में घोर आपत्ति की है । मेरी समझ में नहीं आता कि उनका ठीक आशय क्या है । क्या वे चाहते हैं कि उनकी चिकित्सा वहां न हो ? यह हस्पताल सभी सरकारी कर्मचारियों के लिये चल रहा है । इस सम्बन्ध में एक योजना भी चलाई गई है जिस के लिये हमें अंशदान देना होगा । यह एक गंभीर विषय है । मंत्री की शुद्ध आय पर विचार करें । अतिथि-सत्कार पर उसे जो खर्च करना पड़ता है उस का तो मैं ने उल्लेख ही नहीं किया । इस के लिये वस्तुतः कुछ भी प्रावधान नहीं है । कलकत्ता में किसी को चाय पिलानी होती थी तो उस पर तीन रुपये खर्च होते थे । देहली में १,७६९ रुपये शुद्ध वेतन पर, अर्थात् ५९ रुपये प्रतिदिन पर, एक मंत्री से अपेक्षा की जाती है कि वह मोटर गाड़ी भी खरीदे, जिस के लिये सम्भवतः उसे ऋण लेना होगा । और यदि उसे केवल दो ही वर्ष के लिये मंत्री रहना हो तो १०,००० की मोटर गाड़ी ५,००० से अधिक में नहीं बिक सकेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

> "मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते के सम्बन्ध में उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस पर दो संशोधन प्राप्त हुए हैं । श्री वैलायुधन ।

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं.....

इस प्रक्रम पर उपाध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य से पूछा कि क्या प्रवर समिति के लिये सदस्यों के नाम तय्यार हैं और यह ज्ञात होने पर कि अभी नामों की सूची तय्यार नहीं हैं माननीय सदस्य को आगे बोलने से रोक दिया गया । दूसरे संशोधन प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री बल्ला तरास (पुदुकौटै) के पास भी सदस्यों के नाम नहीं थे । उपाध्यक्ष महोदय ने संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति न देते हुए बतलाया कि किसी ऐसे विधेयक के सम्बन्ध में जिसके प्रवर समिति को सौंपे जाने के विषय में कोई विशेष मतभेद न हो नियमों को ढीला किया जा सकता है परन्तु प्रत्येक प्रसंग में ऐसा नहीं हो सकता । नामों का प्रस्ताव में उल्लिखित होना अनिवार्य है और उन सदस्यों की अनुमति भी प्राप्त की जानी आवश्यक है ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : यदि हो सकता हो मैं इस विधेयक का

विरोध करता, इसलिये नहीं कि प्रस्तावित वेतन अत्यधिक है वरण इसलिये कि यह अत्यन्त न्यून है । मुझे देहली के निर्वाह परिव्यय का अनुभव है और मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि जिस वेतन का इस विधेयक में उपबन्ध किया गया है वह नितान्त अपर्याप्त है । हो सकता है कि माननीय मंत्रियों के अन्य निजी आय के साधन हों, अर्थात् भू-सम्पत्ति इत्यादि, क्योंकि अन्यथा वे इस वेतन पर काम करने के लिए तय्यार नहीं हो सकते । अपनी कार्यावधि की समाप्ति पर यह मंत्रि-गण भारी ऋणों का भार सिर पर लेकर दिल्ली से जायेंगे । इतने थोड़े वेतन पर किसी मंत्री के लिये निर्वाह करना असम्भव सा है । मंत्रियों पर कई प्रकार के उत्तर-दायित्व होते हैं । अतिथि-सत्कार तथा अभ्यागतों की सेवा पर उन्हें बहुत कुछ खर्च करना पड़ता है ।

संसद-सदस्यों का ही जब ४० रु० प्रति दिन में निर्वाह नहीं हो सकता तो फिर मंत्री इतने कम वेतन में कैसे गुजारा कर सकते हैं ? देहली नगर न्यूयार्क की भांति महंगा है । लण्डन भी इसकी तुलना में सस्ता है जहां होटल में एक खाने पर केवल सवा रुपया खर्च आता है । मंत्रियों को बहुत अधिक काम करना पड़ता है । प्रधान मंत्री रात के बारह बजे तक काम करते रहते हैं । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक का विरोध न करें ।

हो सकता है कि कुछ एक मंत्रियों के अन्य संसाधन भी हों परन्तु हमें उनको ध्यान में रखते हुये वेतन निश्चित नहीं करन हैं । यदि हम मंत्रियों को पर्याप्त तन नहीं देंगे तो उन्हें ऋण उठाने होंगे और हो सकता है कि उन्हें ऋणदाताओं को किसी प्रकार की अनुचित सुविधायें देनी पड़ जायें जिससे वे उस आभार से निवृत्त हो सकें । माननीय गृह मंत्री तो यहां से लौट कर फिर अपने विधि व्यवसाय में लग जायेंगे, उनके लिये तो वेतन के कम अथवा अधिक होने में कुछ विशेष अन्तर नहीं है, परन्तु उनके पश्चात् जो कोई अन्य व्यक्ति मंत्री होंगे वह इस वेतन पर निर्वाह नहीं कर सकेंगे । हमें इस विस्तृत दृष्टिकोण से इस विषय पर विचार करना चाहिये । इसके अतिरिक्त मंत्री और उपमंत्री के वेतन में कुछ भी अन्तर नहीं होना चाहिये ।

* * * * * *

इस प्रक्रम पर माननीय सदस्य ने सदस्यों के दैनिक भत्ते पर चर्चा प्रारम्भ करते हुये कहा कि यह भत्ता भी अपर्याप्त है परन्तु उपाध्यक्ष महोदय ने उन्हें इस प्रसग में जाने से रोक दिया ।

* * * * * *

विरोधी दल के माननीय सदस्यों के वेतनों को घटाने के आशय से दिये गये अपने संशोधनों पर बल नहीं देना चाहिये । उन्हें सदन तथा मंत्रियों की प्रतिष्ठा का मान करना चाहिये, क्योंकि मंत्रियों की प्रतिष्ठा देश की जनता की प्रतिष्ठा के तुल्य है । हमें मंत्रियों की स्थिति ऐसी बना देनी चाहिये कि जिससे वे अपने विशेष कार्य और देश सेवा के अतिरिक्त अन्य सभी चिन्ताओं से मुक्त रह सकें ।

* * * * * *

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : मुझे खेद है कि प्रस्तुत संशोधनों के उद्देश्य तथा उनके सिद्धान्तों के समझे बिना ही गृह मंत्री ने क्रोध प्रकट करना प्रारम्भ कर दिया है । यह संशोधन किन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित हैं और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री और अन्य सदस्य इन्हें समझने का प्रयत्न करें ।

हम यह नहीं कहते कि सभी लोगों का वेतन ५० अथवा १०० रुपये हो । हमारा मत केवल यह है कि इस देश के सभी लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर और

[श्री ए० के० गोपालन]

लोगों का निर्वाह-स्तर सुधरे। परन्तु अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। देश में स्थिति कुछ ऐसी हो रही है कि जब भूकों मरने वाला व्यक्ति अपने दाएं बाएं दृष्टि डालता है और किन्हीं लोगों को आनन्द मंगल मनाते देखता है तो उसे दुख का अनुभव होता है। साधारण लोग और इसी प्रकार से कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी जब मंत्रियों और बड़े बड़े अधिकारियों की ओर देखते हैं और अपने और उनके वेतनों की तुलना करते हैं तो उन्हें इनमें बड़ा अन्तर दिखाई देता है। और फिर मंत्रियों और उनके परिवारों को निशुल्क चिकित्सा प्राप्त रहती है। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं परन्तु यह सुविधा सभी लोगों को प्राप्त होनी चाहिये। कितने ही ऐसे कर्मचारी हैं जो २०० अथवा ३०० रुपये लेते हैं परन्तु जिन्हें आवश्यकता होने पर हस्पतालों में प्रवेश नहीं मिलता।

डा० काटजू : प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को चाहे वह क्लर्क हो अथवा चपड़ासी अथवा अधिकारी, विलिंगडन हस्पताल में निशुल्क चिकित्सा प्राप्त होती है।

श्री ए० के० गोपालन : यह केवल देहली की बात नहीं है वरन् सारे देश का प्रश्न है। मैंने कई स्थानों में ऐसे हस्पताल देखे हैं जहां सरकारी कर्मचारियों को कुछ न कुछ राशि प्रति दिन देनी पड़ी हैं।

डा० काटजू : प्रत्येक सरकारी हस्पताल में उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त रहती हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री ए० के० गोपालन : मैं एक सरकारी हस्पताल के स्पेशल वार्ड में पांच दिन रहा हूं। वहां सभी लोगों को दो रुपये प्रति दिन देने पड़ते हैं।

गृह मंत्री बड़े गौरव से अपने आपको कांग्रेसी कहते हैं परन्तु कांग्रेस ने ही तो १९३२ में कराची में यह प्रस्ताव पारित किया था कि मंत्रियों का अधिकतम वेतन ५०० रुपये होना चाहिये। यह निर्णय किसी सिद्धान्त पर आधारित था। जब कांग्रेस को सत्ता प्राप्त हुई तो सिद्धांत के अनुसार उन्हें तब भी त्याग के लिए तय्यार रहना चाहिए था, जिस से लोगों को यह पता चलता कि वह वेतन अथवा पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं वरण देश और जनता के लिए। यदि यह वेतन उन्हें उनके काम के लिए ही मिलता है तो फिर जिस चतुर्ता और विवेक के साथ माननीय गृह-कार्य मंत्री ने निवारक निरोध अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों का संचालन किया है उसे देखते हुए २,२०० रु० कुछ चीज़ नहीं हैं उनका वेतन तो १०,००० रुपये होना चाहिए। यदि यह वेतन काम के लिए है तो फिर कांग्रेसी मंत्रियों और अंग्रेजों अथवा कुछ एक प्रकार के सरकारी अधिकारियों में कुछ अन्तर प्रतीत नहीं होता। गृहकार्य मंत्री कहते हैं कि मंत्रियों को केवल २,२५० रु० मिलते हैं और उसके साथ उन्हें अत्यधिक व्यय करना पड़ता है। परन्तु वेतन के अतिरिक्त जो अन्य सुविधायें उन्हें प्राप्त हैं उनका विश्लेषण होना चाहिये। तो मकान मंत्रियों को मिले हुए हैं यदि उन्हें उनका किराया देना पड़े तो उसकी राशि ५०० रु० से एक हज़ार रुपये तक होगी। ५०० रुपया भोज-भत्ते के रूप में मिलता है परन्तु हो सकता है कि कभी कभी कोई अभ्यागत न होने के कारण यह भत्ता सारे का सारा मंत्री के अपने ही काम में आता हो। मंत्री और उसके परिवार के लिए जो

निश्शुल्क चिकित्सा की सुविधा रहती है यदि उसका मूल्यांकन किया जाय तो ५०० रुपये से कम नहीं बैठता ! इसके अतिरिक्त उन्हें यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता भी मिलता है।

* * * *

इस प्रक्रम पर वित्त राज्य मंत्री (श्री त्यागी) ने बतलाया कि इस समय मंत्रियों को कोई यात्रा भत्ता नहीं मिलता वरण केवल वास्तविक यात्रा व्यय ही प्राप्त होता है।

* * *

मैं तो यही कहता हूं कि उसे यात्रा पर कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। घर का किराया नहीं देना पड़ता। भोजन और चिकित्सा का भी प्रबन्ध है। इस के अतिरिक्त एक साधारण व्यक्ति का और क्या खर्च हो सकता है ?

कांग्रेस के कराची प्रस्ताव का आशय लोगों को यह जतलाना था कि सत्ता-प्राप्ति पर भी कांग्रेस के मंत्री त्याग के पथ पर चलते रहेंगे। यह किसी राशि का प्रश्न नहीं है कि ५० रुपये त्यागे जायं अथवा १००, वरण सिद्धान्त का प्रश्न है। मंत्रियों को अपने वेतन में कमी इस लिए करनी चाहिए कि वह जनता को यह बतला सकें कि मंत्री होते हुए भी वे साधारण जनता में हैं। ऐसा करने से उन्हें जनता का विश्वास प्राप्त हो सकेगा।

मैं ने अपने संशोधन में भी निश्शुल्क व्यवस्था के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। उन्हें बिना किराए के मकान मिलने चाहिएं निश्शुल्क चिकित्सा की सुविधा भी रहनी चाहिए। परन्तु भोज-भत्ते पर मुझे अवश्य आपत्ति है। हम यदि अपने अतिथियों को खिलाते पिलाते हैं तो इस के लिए बिल प्रस्तुत नहीं करते। यदि चाय-पार्टी महंगी रहती है तो केवल पानी-पार्टी ही दी जा सकती है। और फिर इस भोज-भत्ते का कौन सा कोई हिसाब रहता है ? मंत्री को तो यह ५०० रुपया प्राप्त हो जाते हैं। चाहे उस ने वास्तव में केवल १०० अथवा ५० रुपये ही खर्च क्यों न किये हों। सब मिलाकर यह वेतन और भत्त ५००० रुपये तक पहुंच जाते हैं। और इस पर भी कहा जाता है कि मंत्रियों नें अपने आप अपन वेतन में कटौती कर ली है और अब केवल २,२५० रुपये लिया करेंगे। हम चाहते हैं कि इस वेतन में और कटौती की जाय। यदि ऐसा किया गया तो अधिकारियों और अन्य लोगों के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हो जायेगा। कम वेतन पाने वाले भूके मरने वाले लोगों को इस से ढारस होगी। जब तक जनता का जीवन स्तर ऊंचा नहीं होता जब तक सर्वसाधारण की सामान्य आय और मंत्रियों के वेतन में अत्यधिक अन्तर नहीं होना चाहिए।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : सदन को यह मानना होगा कि आज की चर्चा के सम्बन्ध में एक भूतपूर्व मंत्री का साक्ष्य अति सुसंगत होगा। प्रत्येक पद के लिए वेतन का निर्धारण उस पद की विशेषताओं तथा कृत्यों और पदधारी की अपेक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए किया जाता है। मंत्री का पद एक राजनैतिक पद है और इसके लिए वेतन के निर्धारण में वह युक्तियां सुसंगत नहीं होतीं जो एक स्थायी कर्मचारी के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जा सकती हैं। मंत्री को न केवल प्रशासक के रूप में काम करना होता है वरण एक राजनैतिक नेता के कृत्य भी निभाने होते हैं और देश के राजनैतिक क्षेत्रों से सम्बन्ध बनाए रखने होते हैं। इसके लिए न केवल उसे पार्टी की निधि के हेतु अंशदान देना होता है वरण गत और आगामी निर्वाचन के व्यय की भी व्यवस्था करनी होती है। अतः एक मंत्री के वेतन का निर्धारण करते समय

[श्री गाडगिल]

इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

मेरा अपना अनुभव इस विषय में यह रहा है कि कोई मंत्री इस वेतन से अपना निर्वाह ठीक रीति से नहीं कर सकता। मुझे स्वयं चार महीने तो ५,५०० रुपये के हिसाब से वेतन मिला और फिर इसे घटा कर ३००० कर दिया गया। जब वेतन ५,५०० था तो कट कटा कर ३,१०० रह जाता था। जब घट कर ३००० हुआ तो वास्तव में २,१०० ही मिले। फिर अक्तूबर १९४९, में स्वेच्छा से कटौती की जा कर २,५०० रुपये वेतन निश्चित हुआ और तब वास्तव में केवल १,८१० रुपये के लगभग ही मिले। और अब उसे घटाया जा कर २,२५० पर लाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। जहां तक भोज-भत्ते का प्रश्न है मेरे तो यह ५०० के ५०० रुपये खर्च हो जाया करते थे।

अब रहीं अन्य सुविधाएं। निश्शुल्क सुसज्जित मकान में केवल माली का वेतन सम्मिलित है, अन्य सभी प्रकार के व्यय मंत्री को स्वयं ही करने होते हैं। इसी प्रकार से प्रकाश और पंखे के लिए बिजली तो मुफ्त होती थी परन्तु पानी आदि गर्म करने के लिए जो बिजली खर्च होती थी उस के लिए देना पड़ता था। रेफ्रीजरेटर के लिए ४० रुपये कटते थे। चार वर्ष, ९ महीनों में मुझे इस के लिए २,२८० रुपये देने पड़े। फिर घर के लिए कुछ अधिक सामान लेना हो तो उस के लिए अतिरिक्त राशि देनी होगी।

यात्रा-भत्ते का उल्लेख किया गया है, परन्तु वास्तव में इस मद में कभी किसी मंत्री को एक पैसा भी नहीं मिलता क्योंकि सभी प्रबन्ध सरकार की ओर से हो जाता है। नकद शोधन का प्रश्न ही नहीं उठता।

अब रहा दैनिक भत्ता। नियम के अनुसार हम ३० रुपये प्रति दिन ले सकते थे परन्तु हम में से अधिकांश कुछ भी नहीं लिया करते थे और जो कोई लिया भी करते थे वे १५ रुपये प्रति दिन अथवा वास्तविक व्यय, जो भी अधिक हो, के हिसाब से लिया करते थे। एक मंत्री को क्या क्या झंझट होते हैं इस का लोगों को बहुत कम ज्ञान प्रतीत होता है। यदि वह बाहर किसी अन्य राज्य में जाता है और राजभवन अथवा किसी अन्य स्थान में ठहरता है तो उसे बख्शीश के रूप में ही दैनिक भत्ते से अधिक राशि देनी पड़ जाती है। अब तो २२५० रुपये का प्रस्ताव लाया गया है इस में से आय-कर कटने के पश्चात् १,६०० रुपये से अधिक नहीं मिल सकेंगे। उस में से ३०० से ४०० रुपये तक मोटर गाड़ी के सम्बन्ध में खर्च हो जायेंगे और इस प्रकार से केवल १२०० अथवा १३०० रुपये ही बच रहेंगे जो एक संसद् सदस्य के भत्ते के बराबर होता है। मोटर गाड़ी के लिये जो ऋण सरकार से लिया जाता है उस पर कितना ही ब्याज पड़ जाता है।

जनता के जीवन-स्तर का उल्लेख किया गया है, परन्तु मंत्रियों के वेतन तो १९४७ के पश्चात् घटते घटते २२५० पर आ रहे हैं। इन्हें और घटाने से जनता के जीवन-स्तर का सुधार किस प्रकार से हो सकता है? यदि अन्य देशों से तुलना की जाये तो हमें ज्ञात होगा कि हमारे मंत्री अन्य देशों के मंत्रियों से अधिक वेतन नहीं ले रहे हैं। यदि यह वेतन २२५० रुपये में भी कम कर दिए जाएं

तो इस से कुछ अधिक बचत होने की आशा नहीं है। हमें इस पद की प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखना चाहिये। नई दिल्ली में रहते हुए एक मंत्री बैल गाड़ी से ो काम चलाने से रहा, जब कि उसे दूर दूर स्थानों पर पहुंचना होता है।

भोज-भत्ते के विषय में देखा गया है कि मंत्रियों को प्राय: अतिथियों और अभ्यागतों का सत्कार करना होता है। संसद्-सदस्य ही प्राय: मंत्रियों को मिलने जाया करते हैं तो चाय, काफी आदि से उन की आवभगत करनी होती है, क्योंकि इस के बिना तो वार्त्तालाप फीका रहता है।

हो सकता है कि कल को इस समय का विरोधी पक्ष सत्तारूढ़ हो जाय। यह वेतन कुछ अधिक नहीं है। एक हज़ार रुपये का जो सुझाव दिया गया है उस में से ३०० रुपये तो आय-कर के रूप में निकल जायेगा और ४०० रुपया मोटर गाड़ी की देख रेख पर खर्च हो जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि ३६ करोड़ की जनसंख्या वाले देश, भारत, के मंत्री को ३०० रुपये प्रति मास पर निर्वाह करना होगा। जिन सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं मेरा उन से अनुरोध है कि वे इन्हें वापस ले कर उदार मनोवृत्ति का प्रदशन करें।

श्री वैलायुधन : एक समय की बात है कि गांधी जी ने मंत्रियों के लिये वेतन की राशि निश्चित की थी। उन का सुझाव मद्रास ने तो मान भी लिया था परन्तु कुछ अन्य राज्यों को वह मान्य नहीं हुआ, परन्तु अब समय में बहुत कुछ परिवर्तन आ ुका हुआ है और अब तो उस राशि पर एक संसद् सदस्य का निर्वाह भी नहीं हो सकता। मैं स्वयं जब हरिजन सेवक संघ में काम करता था तो ६ रुपये प्रति मास वेतन लिया करता था। केवल कुछ वस्त्र इस के अतिरिक्त होते के जिन्हें मैं स्वयं ही धोया करता था।

अब समय बदल चुका है और मुझे श्री गोपालन के इस सुझाव से पूर्ण मतभेद है कि मंत्रियों को १००० रुपये प्रति मास पर निर्वाह करना चाहिये। वेतन का निर्धारण किसी आदर्श अथवा सिद्धान्त के आधार पर नहीं हो सकता। इसका निर्धारण सामान्य सुविधा और परिस्थितियों के आधार पर ही होना चाहिये। मेरे विचार से जो प्रस्ताव इस विषय में माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत हुआ है वह न्यायोचित है। हम संसद् सदस्यों को भी कई प्रकार की संस्थाओं को रुपया भेजना पड़ता है, जिस से हमारा निर्वाह ४० रु० प्रति दिन में बड़ी कठिनाई से होता है। लोगों को हमारे विषय में तथा मंत्रियों के विषय में एक प्रकार का भ्रम सा रहता है कि हमें मकान, गाड़ी आदि सब मुफ्त मिलते , जब कि वस्तुस्थिति यह है कि मंत्री को भी मोटर अपनी जेब से खरीदनी पड़ती है। वेतन के प्रश्न पर विचार करने के लिये ईर्ष्या भाव से पूर्णतया मुक्त रहना आवश्यक है। हो सकता है कि कल को हमें भी मंत्री पद पर आरूढ़ होने का सुअवसर प्राप्त हो जाए। जब गांधी जी ने मंत्री का वेतन ५०० रुपये निश्चित किया था उस समय उन्होंने एक विशेष दृष्टिकोण से ऐसा किया था।

हाऊस आफ कामन्स में वेतन विधेयक पर चर्चा कुछ ही मिन्टों में समाप्त हो गई थी। हमें संसदीय प्रजातन्त्र का विकास करना है हम अभी उत्तरदायित्व रखने वाले लोग हैं। दोनों ही पक्ष शासन तथा राष्ट्र के अंग हैं। यदि हमें टाटा, बिड़ला और जान मथाई से ईर्ष्या नहीं होती है तो फिर संसद्-सदस्यों और मंत्रियों से ईर्ष्या

[श्री वैलायुधन]

किस लिये हो ? जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिये विरोधी दल और सरकारी बैंचों में पारस्परिक सहयोग आवश्यक है यह एक व्यर्थ सा सुझाव है कि एक उपमंत्री को केवल ७५० रुपये प्रति मास ही मिलने चाहियें। मेरे विचार से तो उपमंत्रियों और सभासचिवों को वही वेतन मिलना चाहिये जो मंत्रियों को मिलता है।

डा० काटजू : मैं यह कहना भूल गया था कि मंत्री की परिभाषा में उपमत्री, भी सम्मिलित हैं, अतः उसे भी वह सभी सुविधायें प्राप्त रहेंगी जो मंत्री को मिलेंगी।

श्री श्यामनन्दन सहाय : इस का अर्थ यह है कि उपमंत्रियों को भी निश्शुल्क मकान मिला करेंग।

श्री वैलायुधन : परन्तु उपमंत्रियों को भोज-भत्ते का ५०० रुपया नहीं मिलता। यह राशि भले ही २५० रुपये निश्चित कर दी जाय परन्तु उपमंत्री को भी मिलनी चाहिये। एक उपमंत्री उतना ही उत्तरदायी व्यक्ति है जितना कि मंत्री, तो फिर उसे मंत्री के समान सुविधायें क्यों न दी जाएं ? ऐसे ही सभा सचिवों से भी अच्छा व्यवहार होना चाहिये और उन्हें भी वह सभी सुविधायें प्राप्त होनी चाहिएं जो मंत्रियों और उपमंत्रियों को प्राप्त है।

प्रधान मंत्री तथा सदन नेता (श्री जवाहर लाल नेहरू) : मैं थोड़ी देर के लिए प्रधान मंत्री के रूप में न बोलते हुए उस व्यक्ति के रूप में बोलना चाहता हूं कि जिस ने इक्कीस वर्ष पूर्व कराची में इंडियन नैशनल कांग्रेस के अधिवेशन पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसका आशय यह था कि एक मंत्री का वेतन ५०० रुपय मासिक से अधिक नहीं होना चाहिये। उस प्रस्ताव की ओर गत कई महीनों में प्रायः हमारा ध्यान खींचा गया है। विशेषकर निर्वाचनों के समय उसकी ओर प्रायः निर्देश किया गया। मैं मानता हूं कि प्रत्यक्षतः वे निर्देश तथा आलोचनाएं न्याययुक्त थीं। उक्त प्रस्ताव में यह कहा गया था कि सामान्यतः ५०० रुपये अधिकतम वेतन होना चाहिये, विशेषज्ञों को छोड़ते हुए। उसके पश्चात बहुत कुछ परिवर्तन हो चुके हैं। और हमने उक्त प्रस्ताव का प्रायः अभिपालन भी किया था जिस समय हमारे कुछ एक सहकारी प्रान्तीय शासनों में मंत्री बने थे। उन्होंने केवल ५०० रुपये वेतन प्राप्त किया यद्यपि उसके साथ उन्हें कुछ एक अन्य सुबिधायें अवश्य प्राप्त थीं, अर्थात् मोटर गाड़ी, निश्शुल्क मकान आदि। और यह सुविधायें तो कराची प्रस्ताव में भी अन्तर्निहित थीं। इन चीजों को सम्मिलित करने से ५०० रुपये से बहुत अधिक राशि जा निकलती है। परन्तु सदन को भली प्रकार से ज्ञात है कि तब से परिस्थितियों में कितना अधिक परिवर्तन आ चुका हुआ है और उस समय के ५०० रुपये में और आज के ५०० रुपये में बड़ा अन्तर है। मुद्रा की क्रम-शक्ति बहुत कुछ कम हो चुकी है क्योंकि एक ओर तो अविमूल्यन हो गया है और दूसरी ओर कर बहुत बढ़ गये हुए हैं। मोटे हिसाब से भी यह पता चलता है कि उस समय के ५०० रुपये तथा उसके साथ प्राप्त सुविधाओं में और उस वेतन में जिसका प्रस्ताव अब रक्खा गया है कुछ अधिक अन्तर नहीं है। इस प्रकार का आगणन यद्यपि बहुत अधिक यथार्थ न भी हो तो भी कुछ ऐसा अशुद्ध भी नहीं हो सकता और हमने सामान्यतः उसी नीति का अनुसरण किया है जो उस समय निर्धारित की गई थी।

मैं इस समय केवल मंत्रियों के वेतनों की बात कर रहा हूं, उन अन्य वेतनों की नहीं जो दिए जाते हैं और जिन के विषय में विभिन्न प्रकार के नियम, विधियां, आश्वासन आदि मौजद हैं। वह एक भिन्न प्रकार का विषय है। यह सब कुछ चार पांच वर्ष पूर्व हुआ जबकि शासन का परिवर्तन हो रहा था। सभी प्रकार के आश्वासन दिए गए और स्वभावतः वह लोग जिन्होंने वह आश्वासन दिए थे अब उनकी अभिपूर्ति करना चाहते हैं। यह कुछ अच्छा नहीं होता कि आश्वासन दिए जाएं और फिर निभाए न जायें। हां यदि कोई दैवी आपत्ति हो आ पड़े तो वह और बात है। कुछ एक प्रसंगों में कहा जा सकता है कि जो आश्वासन दिए गए वह उचित अथवा न्याययुक्त नहीं थे। यह एक ऐसा विषय है जिसकी जांच की जा सकती है।

मंत्रिमन्डल ने मंत्रियों के वेतन के प्रश्न पर बहुत कुछ विचार किया था। हम सभी को कुछ वर्षों से इस विषय में निजी अनुभव रह चुका है। हम इन वेतनों को कम से कम रखना चाहते थे, न केवल इस लिये कि सरकार को कुछ बचत हो जाए, वरन् इस लिए भी कि केन्द्रीय मंत्रियों को दूसरों के लिए उदाहरण उपस्थित करना चाहिये।

हम प्रायः अपने खर्च का अनुमान अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर लगाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मंत्रीगण अपना काम दक्षतापूर्वक निभाएं तो उन्हें कुछ एक सुविधाओं का प्राप्त होना आवश्यक है, विशेषकर काम करने के लिए शांत स्थान। यदि हर समय किसी मंत्री के आस पास अन्य लोग एकत्रित रहेंगे तो वह काम नहीं कर सकेगा। उसे अच्छा घर मिलना ही चाहिये।

नई देहली यद्यपि पुरानी देहली के साथ मिली हुई है तो भी यहां का निर्वाह-परिव्यय अथवा जीवन स्तर पुरानी देहली की अपेक्षा बहुत अधिक ऊंचा है। संसार की अधिकांश राजधानियों से ऊंचा है। नई देहली को इस स्थिति पर नियन्त्रण की आवश्यकता है। किराए आदि भी यहां अत्यधिक हैं। यहां की विपणि (मार्केट) कुछ एक लखपतियों के हाथ में है। अन्य लोगों को अवसर ही नहीं मिलता।

हम ने इस विषय पर बहुत कुछ विचार किया है और जो राशियां हमने निश्चित की हैं वह कम से कम राशियां हैं जिन से यह कम से कम सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं।

हो सकता है कि मेरे सहयोगियों का और मेरा काम कुछ एक माननीय सदस्यों को पसन्द न हो। उन्हें हमारी नीति पर आपत्ति हो सकती है। परन्तु एक चीज पूर्णतः स्पष्ट है और वह यह है कि इस सरकार के मंत्रिमन्डल पर कार्यभार बहुत अधिक रहता है। हमें अपने मंत्रालयों के काम के अतिरिक्त पार्लियामेंट का काम भी करना होता है, और इसके साथ लोगों को इन्टर्व्यू भी देने होते हैं। और देशों में शनिवार और रविवार की छुट्टी रहती है परन्तु हमें वह भी नहीं होती। एक निरन्तर कार्यभार बना रहता है, अतः हमें अपने जीवन और समय का विनियमन करना पड़ता है जिससे अधिकाधिक काम हो सके और स्वास्थ्य भी बना रहे।

माननीय गृह कार्य मंत्री ने बतलाया है कि हमें इस वेतन के निर्धारण में मंत्रियों की निजी आय का आगणन नहीं करना चाहिये क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो फिर हमें केवल निजी आय वाले व्यक्ति ही मिल सका करेंगे। यदि मंत्रियों में कुछ एक एसे भी हों जो अपनी निजी आय रखते हों तो इससे एक प्रकार का विभेद का वातावरण उत्पन्न हो जायगा।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

एक अनुचित प्रकार की प्रतिस्पर्धा रहेगी क्योंकि प्रत्येक मंत्री उस जीवन स्तर की प्राप्ति का प्रयत्न करेगा जो किसी अन्य मंत्री को प्राप्त होगा। अतः यद्यपि वेतन यथा सम्भव कम से कम रहना चाहिये तो भी इतना अवश्य हो जिससे वह अपना काम कर सके और किसी निजी आय का उपयोग किये बिना अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाये रख सके। मुझे ज्ञात है कि मेरे कितने ही सहयोगियों को ऐसा करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ा है और उन्हें अपने निजी संसाधनों का सहारा लेना पड़ा है।

मेरी जो कुछ भी आय अपने वेतन के अतिरिक्त है वह लेखक की आय मात्र है परन्तु मेरे मंत्री बनने पर उस आय की समाप्ति हो गई, क्योंकि तब से मैं पुस्तकें नहीं लिख सका हूं। यह आय कुछ समय तक तो चलती रहती है परन्तु कुछ वर्षों के पश्चात् बन्द हो जाती है।

मंत्री बनने से पूर्व मैंने कभी वेतन नहीं पाया था अतः मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानो यह मेरी सामान्य आय के अतिरिक्त आय हो, अतः मैंने इसे खुले दिल से खर्च किया। मोटर गाड़ी भी खरीद ली। मैंने समझा कि मेरे पास बहुतेरा धन हैं परन्तु वास्तव में मैं अपनी आय से बहुत अधिक खर्च कर रहा था यद्यपि उन दिनों वेतन भी दुगुना था।

यह ठीक है कि मेरी स्थिति अन्य लोगों से अच्छी है क्योंकि मुझे परिवार का भरण पोषण नहीं करना होता है और न ही मुझ पर बच्चों की शिक्षा का भार है। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत किया है कि केवल प्रधान मंत्री को १००० रुपये भोज-भत्ते के रूप में मिलने चाहियें और अन्य किसी मंत्री को कोई भोज-भत्ता नहीं मिलना चाहिये। परन्तु, वास्तव में प्रधान मंत्री भोज-भत्ते की यह ५०० रुपये की राशि प्राप्त नहीं करता क्योंकि उस का सम्बन्ध राष्ट्रपति भवन की सरकारी अतिथि सत्कार संगठन के साथ रहता है, अतः उसकी ओर से सभी सरकारी अतिथि सत्कार की व्यवस्था उक्त संगठन द्वारा ही की जाती है। प्रधान मंत्री यह ५०० रुपये प्राप्त नहीं करता यद्यपि सम्भवतः उसका ख़र्च इस विषय में इससे भी अधिक हो जाता है, परन्तु यह सब व्यवस्था उक्त संगठन के अधीन रहती है, और यदि भविष्य में भी यह व्यवस्था बनी रहेगी तो प्रधान मंत्री यह भत्ता प्राप्त नहीं करेगा। जहां तक अन्य मंत्रियों का सम्बन्ध है उन्हें कुछ न कुछ अतिथि सत्कार करना ही होता है। कुछ लोग समझते होंगे कि अतिथि सत्कार के नाम पर अच्छे परोसे खाए जाते हैं परन्तु यह यथार्थ नहीं है। इससे तो वास्तव में लोगों को मिलने का अवसर प्राप्त होता है, और यह लोग केवल इसी देश के ही नहीं होते वरन् विदेशों के भी होते हैं। प्रत्येक मंत्री को कई प्रकार के प्रतिनिधि मंडलों, शिष्ट मंडलों, सम्मेलनों इत्यादि से काम रहता है, और नई दिल्ली का नगर दिन प्रतिदिन राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का प्रमुख केंद्र बनता चला जा रहा है। इन सभी लोगों से मिलना होता है और उन्हें भोजन, पार्टी आदि पर भी बुलाना होता है और इस पर ख़र्च होता है। मैं नहीं समझता किसी भी मंत्री का काम इस भोज-भत्ते से चल जाता

हो। प्रायः सभी मंत्रियों को इससे कुछ अधिक ही खर्च करना पड़ता है।

अभी अभी सभा सचिवों का उल्लेख हुआ है। सभा सचिवों की नियुक्ति सर्वप्रथम, कुछ वर्ष हुए, राज्य सरकारों में हुई थी। परन्तु यहां का सभा सचिव वहां के सभा सचिव से भिन्न है। राज्यों के सभा सचिव बहुत कुछ हमारे वर्तमान उपमंत्रियों से मिलते थे। उनके कृत्य इस प्रकार के होने चाहियें थे परन्तु वास्तव में, सम्भवतः यह बात नहीं थी। अतः जबकि हमारे यहां उपमंत्री मौजूद हैं तो मैंने समझा कि हमें उस प्रकार के सभा सचिवों की क्या आवश्यकता है। ऐसा करना मुझे केवल अधिक लोगों को साथ लेने के समान प्रतीत हुवा। अतः जब गत वर्ष मैंने यह सभा सचिवों की प्रथा चलाई तो वे अवैतनिक सभा सचिव थे। उन्हें कुछ धन-प्राप्ति तभी होती थी जब सत्रों के बीच उन्हें कुछ काम करना होता था। जब कभी उन्हें किसी विशेष कार्य के लिये बुलाया जाता था तो उन्हें सदस्यों का साधारण भत्ता ही मिलता था। वे अवतनिक सभा सचिव हैं और मेरे विचार में इस वस्तुस्थिति को बदलना नहीं चाहिये। यह एक अच्छी प्रथा है। प्रत्येक मंत्री के पास उसकी सहायता इस प्रकार के एक दो सभा सचिव रहने चाहियें। इससे सरकारी कोष पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता और सदन के प्रायः कम आयु के कुछ सदस्यों को सरकारी काम का प्रशिक्षण मिल जाता है। अतः मेरा सुझाव यह है कि सभा सचिवों को इस वैतनिक श्रेणी में न लाया जाय। इसी लिये जान बूझकर उन्हें इस के बाहर रखा गया है। दो वैतनिक पद मौजूद हैं, अर्थात् मंत्री और उपमंत्री। मेरी समझ में नहीं आता कि सभा सचिव के लिये नई श्रेणी की रचना क्यों की जाय। परन्तु यह सदन के विचार की चीज़ है। यह सिद्धांत का प्रश्न है। मैंने केवल अपना विचार ही प्रकट किया है।

मकान के विषय में मेरा मत यह है कि मकान ऐसा होना चाहिये कि जहां मंत्री निर्बाध कार्य कर सके। मुझे यह पुराने तथाकथित मंत्रिगृह पसन्द नहीं हैं क्योंकि यह अच्छे नहीं हैं और उनकी देख-रेख पर बहुत अधिक खर्च आ जाता है। मकान अधिक सुविधायुक्त और छोटे होने चाहियें। मै समझता हूं और आशा करता हूं कि अब भविष्य में देहली में बड़े मकान नहीं बनाए जाएंगे। विदेशी मिशन यदि बड़े बडे मकान बनाने चाहें तो बनाएं। नई देहली के अत्यधिक महंगा होने का एक कारण यही बड़े बड़े आंगणों वाले बड़े २ मकान हैं। यदि आपको अपने पड़ौसी को मिलने के लिये जाना हो तो आपको आध मील चलकर जाना होगा। यह नगर नहीं है वरन् एक फैली हुई आबादी है। इस में अधिक मकान बना कर इसे एक नगर का रूप देने की आवश्यकता है जहां पैदल चल कर, अथवा साइकल पर ही, काम हो सकें और एक अनुचित प्रकार का अत्यधिक ऊंचा निर्वाह स्तर बनाये रखने की आवश्यकता न रहे। मेरे सहयोगी द्वारा लाये गये इस विधेयक में इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है अतः मैं सदन से यह अनुरोध करता हूं कि इस का अनुमोदन किया जाय।

श्री वल्ला तरास (पुदुकोटै) : जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है मंत्री की प्रतिष्ठा और उस की कार्य-सुविधा का तो अवश्य ध्यान रहना चाहिये। विचारणीय केवल यह है

[श्री वल्लातरास]

कि इस उद्देश्य की प्राप्ति किस प्रकार से की जाय और क्या इस के लिए २००० रुपये मासिक ही आवश्यक हैं या कम अथवा अधिक से भी काम चल सकता है। इस विषय में इस बात पर भी विचार करना होगा कि कर दाता की सामर्थ्य कितनी और कैसी है और उसे क्या लाभ-प्राप्ति होती है। जनता में फैला हुआ असन्तोष तो इस बात का द्योतक है कि संविधान पर आधारित यह सरकार उनका कल्याण नहीं कर सकी है। आवश्यकता नैतिक बल की है क्योंकि यदि चाहे तो एक मंत्री ७५० अथवा ५०० रुपये में काम चला सकता है। उन्हें जनता को यह दिखलाना चाहिये कि वे अपने पुराने निर्वाह स्तर पर रहते हुए काम कर सकते हैं। यदि हम चाहें तो धोती कुर्ते से गुजारा हो सकता है। परन्तु यदि हम अपने निर्वाह-स्तर को बढ़ाना चाहें तो उस का कुछ अन्त नहीं है। राज्यों के मंत्री केन्द्रीय मंत्रियों से भी ऊंचे ठाठ से रहते हैं।

संसद् सदस्यों को जो ४० रुपये प्रतिदिन मिलते हैं इस से भी वे चाहें तो कम से कम ५००० रुपये प्रति वर्ष बचा सकते हैं।

माननीय मंत्रियों का वेतन कुछ एक पुराने सरकारी अधिकारियों के वेतन के समान स्तर पर है। कुछ एक सचिव और उप-सचिव तो २,५०० से ४००० रुपये तक ले रहे हैं। परन्तु यह लोग तो एक भिन्न प्रकार के वातावरण में पले हैं और उनकी और हमारी स्थिति में बहुत कुछ अन्तर है। तो भी इन लोगों के वेतनों को भी किसी न किसी विधि द्वारा कम करना ही होगा।

मंत्रियों को अवश्य अपने वेतन में कमी करने का निश्चय करना चाहिये। मेरा एक संशोधन यह है कि मंत्री का वेतन लगभग १,७५० रुपये और उपमंत्री का १,००० होना चाहिये। मेरे आगमन का आधार यह है कि इस सदन के सदस्यों को ४० रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। तीस दिन में इस प्रकार १२०० रुपये बनते हैं। इस में ५०० रुपये की और वृद्धि की जा सकती है। प्रधान मंत्री ने मंत्रियों की कठिनाइयों का वर्णन किया है। मुझे उन से सहानुभूति है। परन्तु इस वेतन के विषय में हमें अधिक नैतिक बल के निर्माण की आवश्यकता है। जनता के असन्तोष को देखते हुए हमें साधारण करदाताओं से ऊंचा निर्वाह-स्तर रखने का अधिकार नहीं है।

यद्यपि पूंजीपतियों से और अधिक आय कर की प्राप्ति की जा सकती है ऐसा नहीं किया जा रहा है और निर्धन लोगों पर ही कर-भार डाला जा रहा है।

मैं ने कुछ एक संशोधन प्रस्तुत किए हैं, परन्तु प्रधान मंत्री के भाषण के पश्चात् मैं उन पर बल देना नहीं चाहता। मुझे उन के सद्भाव के सम्बन्ध में कोई आशंका नहीं है। परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि मंत्रियों को नैतिक साहस से काम लेते हुए अपने वेतनों को साधारण सदस्यों के भत्ते के समान स्तर पर ले आना चाहिये। यदि ५००० रुपये से उन का वेतन २००० रुपये तक गिर जाने से उनकी प्रतिष्ठा नहीं घटी है तो कुछ और कमी होने से भी नहीं घटेगी। यदि १९२१ में मंत्री का वेतन ५०० रुपये निश्चित हुआ था तो अब उस से तिगुना, अर्थात् १५०० हो सकता है। मंत्रियों को यह नहीं भूलना चाहिये कि वे कभी साधारण कार्यकर्त्ता रहे हैं और उन्हें ऐसा प्रकार का जीवन नहीं बना लेना चाहिए जो उस पुराने जीवन से सर्वथा भिन्न हो। हमारे

उदाहरण का प्रभाव स्थायी अधिकारियों पर पड़ना अवश्यम्भावी ह । उन्हें भी अपने वेतन कम करने होंगे । यदि वे इस समय ऐसा नहीं करेंगे तो कभी समय आ सकता है जब उनके साथ कड़ा व्यवहार किया जा सकेगा ।

[इस प्रक्रम पर उपाध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य को जतलाया कि वे मंत्रियों के वेतन सम्बन्धी विधेयक पर बोल रहे हैं न कि अधिकारियों के वेतन के विषय पर ।]

परन्तु यह कैसे हो सकता है कि मंत्री तो कम वेतन लें और उन के अधीन अधिकारी उन से अधिक वेतन प्राप्त करें ? मैं अनुरोध करता हूं कि अधिक नैतिक साहस से काम लिया जाय । मैं अपने संशोधन वापस लेता हूं ।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल—पश्चिम कटक) : गृह-कार्य मंत्री ने २,२५० रुपये वेतन का उल्लेख किया है और फ़िर शुद्ध राशि निर्धारित करने के लिए उन्होंने ४८१ रुपये आय-कर के उस में से घटा लिए हैं । उन्होंने मकान के किराये का आगणन वेतन के १ १/२ प्रतिशत के हिसाब से किया है ।

उन्होंने किराये और अन्य सुविधाओं को तो सम्मिलित किया ही नहीं परन्तु उस पर लगे आय-कर को सम्मिलित कर लिया है । यदि इन सभी सुविधाओं का भी आगणन किया जाये तो यह वेतन ३,५०० से ४,००० रुपये तक जा पहुंचता है । मैं कांग्रेस के १९२१ के प्रस्ताव की दुहाई देना नहीं चाहता । तब के ५०० रुपय आज कल १५०० रुपये के बराबर होते हैं । परन्तु यह १५०० और २००० रुपये का प्रश्न नहीं है । भारत एक निर्धन देश है । यहां की प्रति-व्यक्ति आय बहुत कम है । इस दृष्टिकोण से क्या हमें उचित है—चाहे हम मंत्री हों अथवा सदस्य—कि हमारी आय और साधारण व्यक्ति की आय में इतना अधिक अन्तर हो ? जितना यह अन्तर अधिक होगा उतना ही हम सर्व साधारण से दूर होते जाएंगे ।

प्रधान मंत्री ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि मंत्रियों के बड़े बड़े बंगलों की देख रेख पर बहुत खर्च आता है । मुझे जापानियों के रहन-सहन को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है । उन के आंगन छोटे छोटे होते है परन्तु वे उन्हें खूब सजा कर रखते हैं । परन्तु यहां बंगलों के आंगन इतने बड़े हैं कि उन की देख रेख पर अत्यधिक खर्च होता है । इन बड़े बड़े आंगनों को प्लाटों में बांट कर उन पर और मकान बनाने चाहियें । अंग्रेज़ बड़े बड़े वेतन लेते थे, अतः माली आदि की व्यवस्था कर सकते थे परन्तु २,००० अथवा २,५०० रुपये में यह नहीं हो सकता ।

कहा गया है कि मंत्री के लिये मोटर गाड़ी का होना अत्यावश्यक है परन्तु नार्वे में केवल वित्त मंत्री के पास ही मोटर गाड़ी है और वह भी उसकी निजी सम्पत्ति है, प्रधान मंत्री तक के पास मोटर गाड़ी नहीं है । यह एक विचित्र सी बात है कि जब तक तो मैं एक साधारण सदस्य हूं मैं पैदल चल फिर सकता हूं परन्तु जैसे ही मैं मंत्री बन जाता हूं मुझे अत्युत्तम कार मिलनी चाहिए । इस प्रकार के विचारों से मुक्ति प्राप्त करके ही हम जनता के साथ अपना सम्पर्क बनाए रख सकते हैं ।

वेतनों में इतना अधिक अन्तर नहीं होना चाहिये जो, उदाहरणतः, यहां डाक विभाग में है । जहां पोस्टमैन का वेतन केवल २५ अथवा ३० रुपये ही है और विभाग के उच्चतम अधिकारी को ३,०००

[श्री सारंगधर दास]

से ४,००० रुपये तक मिलते हैं। जापान और अमेरिका में यह अन्तर चार, पांच गुने से अधिक नहीं था।

इस बात को देखते हुए कि हमारी प्रति-व्यक्ति आय इतनी कम है न्याययुक्त नहीं है कि यहां कोई लाखों रुपये एकत्रित करने का प्रयास करे। हां यदि हमारी प्रयि व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाए तो फिर हम मोटर गाड़ियों में चल फिर सकते हैं। माननीय गृह-कार्य मंत्री का यह कहना युक्तियुक्त नहीं है कि एक मंत्री की आय केवल ४८१ रुपये कम २,२५० रुपये ही है जबकि उसे सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं, अर्थात् मुक्त मकान, उद्यान, टेलीफोन इत्यादि, क्योंकि यदि इन सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जाय तो मंत्री की आय १,७७० रुपये से बहुत अधिक होगी।

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"अब इस प्रश्न पर मत लिया जाय।"

अध्यक्ष महोदय : जैसे ही समापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है मुझे उसको सदन के सम्मुख मतदान के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है। जो माननीय सदस्य अभी तक नहीं बोल सके हैं वे खंड ३ पर चर्चा के प्रक्रम पर बोल सकते हैं। अतः मैं नहीं समझता कि इसे सदन के मतार्थ प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, अतः मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री को उत्तर देने के लिए आह्वान करता हूं।

डा० काटजू : कहा गया है कि मंत्रिगण मोटर गाड़ियों में फिरते हैं और इस प्रकार से सुख और विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परन्तु मंत्रियों को सम्मेलनों, बैठकों आदि में भाग लेना होता है और फिर घर पर भी काम करना होता है, यदि टांगे में बैठ कर जाएंगे तो न केवल समय अधिक लगेगा वरण खर्च भी कम नहीं आएगा।

माननीय प्रधान मंत्री ने कराची के ५०० रुपये वाले प्रस्ताव का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में मुझे कुछ निजी अनुभव भी प्राप्त है। मैं संयुक्त प्रान्त में १९३७ में मंत्री नियुक्त हुआ और मैं ने ५०० रुपये वेतन प्राप्त किया। मकान और मोटर गाड़ी इस के अतिरिक्त थे। मोटर की देखरेख के लिए १५० रुपया और मिलता था। उसकी तुलना वर्तमान स्थिति से कीजिए। अभी अभी जो माननीय सदस्य बोले हैं उन्हों ने कहा है कि मंत्री की शुद्ध आय, आय-कर निकालने के पश्चात्, लगभग १,७६९ रुपये होती है। इस में से लगभग ३०० रुपये मोटर गाड़ी की देखरेख के निकल जाते हैं। और यह मोटर गाड़ी अपनी जेब से खरीदनी पड़ती है। इस प्रकार उसकी शुद्ध आय केवल १,४५० रुपये रहती है। सभी जानते हैं कि १९३१ का एक रुपया आजकल केवल चार आने के बराबर है, रुपये की क्रय-सामर्थ्य इतनी घट चुकी है। एक और स्पष्टीकरण भी किए देता हूं। उपमंत्रियों को २४५ रुपये आय-कर कटने के पश्चात् केवल १,५०५ रुपये प्रति मास ही मिल सकेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जहां तक इस कर का सम्बन्ध है उन मंत्रियों और उपमंत्रियों को जिन्हें निजी आय की प्राप्ति भी होती है इस से भी अधिक आय-कर देना होगा।

डा० काटजू : वह तो है ही। मैं उसका उल्लेख इसलिये नहीं कर रहा हूं

कि धनी लोगों के लिए घृणा का भाव सा सदैव बना रहता है। उन्हें पसन्द नहीं किया जाता। यदि दुर्भाग्यवश किसी को कोई अतिरिक्त आय होती हो तो वह ऊंची आय-श्रेणी में आ जायगा। मैं इस के विस्तार में जाना नहीं चाहता। २,२५० रुपये प्रति मास के हिसाब से साल भर में २७,००० रुपये होते हैं। २५,००० रुपये से अतिरिक्त आय पर अधि-कर (सुपर टैक्स) लगने लगता है। इस विशेष प्रसंग में २,००० रुपये पर अधि-कर लगता है। यदि दुर्भाग्यवश किसी की ६,००० रुपये की निजी आय हो तो २७,००० रुपये में यह ६,००० रुपया मिलने से ३३,००० की राशि बन जाती है। कर लगभग ४ आना प्रति रुपया के हिसाब से लगता है, इस कर पर अधिभार (सरचार्ज) पड़ता है, और उसके अतिरिक्त ३, ४ आना प्रति रुपया के हिसाब से अधि-कर भी लगता है।

इसीलिए उस १२ १/२ प्रतिशत पर भी जो आय-कर के प्रयोजनों के लिए किराये के रूप में लगाया जाता है अधि-कर, अधि-भार इत्यादि सभी कुछ लगाया जाता है। यह ठीक है कि यह छोटी छोटी बातें हैं जिन से माननीय सदस्यों का सम्बन्ध नहीं है।

यह भी कहा गया है कि हमें तपस्या का जीवन व्यतीत करना चाहिए, धोती से ही काम चलाना चाहिए। जहां तक हमारा अपना सम्बन्ध है यह सभी कुछ ठीक है। मैं स्वयं १५, २० अथवा ३० रुपये पर निर्वाह कर सकता हूं (**अन्तर्बाधा**) परन्तु बच्चों का क्या होगा? भविष्य में यदि भारत का कोई राजनीतिज्ञ इस प्रकार का तपस्वी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो उन्हें बाल ब्रह्मचारी रहना होगा, विवाह नहीं करना होगा। क्योंकि यदि विवाह करेंगे तो उनके उत्तरदायित्व बढ़ जाएंगे। परन्तु यदि आपके सन्तान है और आप उनकी शिक्षा और पालन-पोषण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं करते हैं। तो आप का यह व्यवहार उचित व्यवहार नहीं है। आप अपने 'साधारण जीवन और उच्च बिचार' के आदर्श अपनी सन्तान पर कैसे ठोंस सकते हैं? आपका कर्त्तव्य है कि उन्हें उचित शिक्षा दें, उन्हें डाक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, प्रविधिक शिक्षा दें, जिस से वे बड़ होकर अपना जीविकोपार्जन कर सकें। इस देश के लोगों के सामने किसी प्रकार के आदर्श स्थापित करने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि यदि उन्हें बहकाया न जाय तो वे यह सब कुछ भली भांति समझते हैं। यह जो उद्यानों का उल्लेख हुआ है तो वह कुछ हमारी सम्पत्ति नहीं बन गये हैं।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि मंत्रियों को ठीक प्रकार से काम करने की सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिएं। मैं एक बार फिर कहता हूं कि प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के मकानों का उपभोग उन से भी अधिक अभ्यागतों द्वारा होता है। यह सभी कुछ उन्हीं की सुविधा के लिए है।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

"मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते के सम्बन्ध में उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब विधेयक पर खंडवार विचार किया जायगा।

खंड २ विधेयक का अंग बना।

खंड ३– (मंत्रियों के वेतन)

श्री पी० टी० चाको (मीनाचिल) : ऐसी परिस्थिति में जबकि मंत्रिगण आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें केवल २,२५० रुपये ही अपेक्षित हैं, मैं अपने ३००० सम्बन्धी संशोधन को प्रस्तुत करना नहीं चाहता हूं।

१२ बजे मध्यान्ह

इस प्रक्रम पर श्री ए० के० गोपालन और श्री वीरस्वामी (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां) द्वारा इस आशय के संशोधन प्रस्तुत हुए कि वेतनों में कमी की जाय।

श्री पुन्नूस (आल्लबप्पी) : यह बात तो मानने वाली है कि मंत्रियों के वेतनों में बहुत अधिक कमी करने में बहुत कुछ कठिनाइयां है। इस समय उनके बहुत कुछ उत्तरदायित्व हैं। उन्हें अभ्यागतो का मान सत्कार करना होता है। विशेष सामाजिक स्तर पर निर्वाह करना होता हैं। यह सब ठीक है। परन्तु जब तक हम इन स्तरों और सामाजिक जीवन के इन विचारों से चिमटे रहेंगे तब तक किसी परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती। मैं मानता हूं कि उन्हें काम करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिएं, परन्तु वे काम क्या करते हैं? केवल फाइलों को देखना ही तो कोई बड़ा काम नहीं है। वह तो जितना भी कम हो उतना ही अच्छा होगा। वास्तविक काम तो जनता में उत्साह भरना और उन्हें राष्ट्रनिर्माण के कार्यों के लिए उद्यत करना है। यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाय तो हमारे मंत्रियों के वर्तमान निर्वाह-स्तर अत्यधिक ऊंचे हैं। हमें अपने राष्ट्रीय आंदोलन के समय में स्थापित की गई प्रथाओं को बनाए रखना चाहिए। जब २०० रुपये की राशि निश्चित की गई थी तो इस का यह अर्थ नहीं था कि सदैव के लिए यही राशि रहेगी, परन्तु उस निर्णय की तह में यह धारणा काम कर रही थी कि हमारे राष्ट्र के कर्णधारों को जनता के निकटतम रहना चाहिए। अतः इन वेतनों में अवश्य कमी होनी चाहिए। मंत्रियों को उचित है कि साहस से काम लें। जब उन्हें सत्ता प्राप्त नहीं थी और वह राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे यदि उस समय वे छोटे स्तर पर निर्वाह कर सकते थे तो अब उन्हें क्या हो गया है?

यह भी कहा गया है कि मंत्रियों के पास अत्यधिक काम रहता है। परन्तु हमें इसमें संदेह है कि सभी मंत्रियों के पास अत्यधिक काम रहता है। उदाहरणतः सांसद् कार्य मंत्री को ही लीजिए। उन्हें कभी किसी प्रकार का काम करते नहीं देखा गया। समझ में नहीं आता कि यथार्थ रूप में उनका काम किस प्रकार का है। हमने कभी उन्हें बोलते नहीं देखा। न ही वे प्रश्नों के उत्तर ही देते है। ब्रिटेन में मुख्य सचेतक को केवल सभा सचिव का पद दिया जा सकता है।

श्री वीरस्वामी : माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि संसद् सदस्यों को ४० रुपये प्रतिदिन मिलते हैं और मंत्री का वेतन ५९ रुपये प्रतिदिन होता है। माननीय गृह-मंत्री इस बात को भूल रहे हैं कि जहां सदस्यों को यह भत्ता केवल सत्रकाल में ही प्राप्त होता है मंत्रियों का वेतन उन्हें बारह महीने मिलता रहता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : परन्तु वे काम भी तो बारह महीने ही करते रहते हैं—सदस्य बारह महीने काम नहीं करते।

श्री वीरस्वामी : माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि मंत्रियों को लड़कों की

शिक्षा, लड़कियों के विवाह और सम्बन्धियों और अभ्यागतों के सत्कार पर बहुत कुछ खर्च करना पड़ता है। परन्तु अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी तो इस प्रकार के खर्च करने होते हैं। यदि १०० रुपये से कम वेतन पाने वाले व्यक्ति अपने वेतन पर निर्वाह कर सकते हैं तो क्या मंत्रिगण २,००० रुपये पर भी निर्वाह करने में असमर्थ हैं ? मंत्रियों को २,२५० रुपये मिला करेंगे और उपमंत्रियों को १,७५० रुपये प्राप्त होंगे। उन्हें पूर्णतः सुसज्जित मकान भी मिले हुए हैं। उनके लिए निश्शुल्क चिकित्सा की व्यवस्था भी मौजूद है और ५०० रुपये प्रतिमास भोजन भत्ते के रूप में भी मिलते है। सब मिला कर प्रत्येक मंत्री को ३३,००० रुपये प्रति वर्ष की प्राप्ति होती है, जिस में से वह कम से कम २०,००० रुपये की बचत कर सकता है। यह उसके लिए कुछ कठिन नहीं है। यात्रा में भी मंत्री की सेवा आदि अन्य लोगों द्वारा ही होती है, अतः उसे कुछ खर्च करना नहीं पड़ता।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के लिए उन्ही तर्कों को बार बार दुहराना उचित नहीं है। उनका संशोधन केवल यह है कि २,२५० रुपये की राशि को घटा कर २,००० किया जाय। उन्हें केवल यह बतलाना है कि वे किस सिद्धांत के आधार पर यह २५० रुपये की कमी करना चाहते हैं।

श्री बीरस्वामी : लाखों सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिन के पास सेवा से निवृत्त होते समय कुछ भी नहीं होता, परन्तु मंत्री अपनी पदावधि में ६०,००० रुपया बचा सकता है। अतः मेरा सुझाव यह है कि मंत्री को २,००० रुपये में ही सतुष्ट रहना चाहिये। उसे २५० रुपये मकान के किराये के रुप में देने चाहिएं और उपमंत्री को १५० रुपये। इसके अतिरिक्त, उन्हें स्वयं तो निश्शुल्क चिकित्सा मिलनी ही चाहिए। परन्तु उनके परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। अन्य सरकारी कर्मचारियों के परिवार के लोगों को निश्शुल्क चिकित्सा नहीं मिलती, उन्हें इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। हमारी सरकार एक जनतन्त्रीय सरकार है और हमारा देश एक गणराज्य है, अतः हमें ऊंचे वेतनों में कमी करनी चाहिए और नीचे वेतनों को बढ़ाना चाहिए। अतः मैं मंत्रियों से, विशेषतः गृह कार्य मंत्री से, अनुरोध करता हूं कि अपने वेतनों में कुछ और कमी स्वीकार करें। एक विधेयक इस प्रकार का प्रस्तुत किया जाय जिसके द्वारा पुलिस के कांस्टेबलों, अध्यापकों, निम्न श्रेणी के क्लर्कों, तथा अन्य नान-गज़ेटिड अधिकारियों के वेतन बढ़ाए जा सकें। मैं अपने संशोधन वापस लेता हूं।

संशोधन वापस लेने की अनुमति दी गई।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मेरे विचार से जो वेतन स्तर निश्चित हुए हैं वह न्याययुक्त हैं। परन्तु अच्छा होता यदि सभी तथ्य दिए गए होते जिससे पता चल सकता कि इन वेतनों को स्वीकार करने में मंत्रियों को किस सीमा तक वास्तविक त्याग करना पड़ा है।

देहली जैसे नगर में निर्वाह परिव्यय बहुत अधिक रहता है। हम सदस्यों का ४० रुपय प्रतिदिन में गुज़ारा नहीं हो पाता। कहा गया है कि मंत्रियों को एक जीवन स्तर बनाए रखना होता है परन्तु यह जीवन-स्तर इतना ऊंचा भी नहीं होना चाहिए कि मंत्री-पद से हटने पर उन्हें दुख का अनुभव हो। गृह-मंत्री का यह तर्क कि मोटर गाड़ी से बैलगाड़ी अधिक मंहगी रहेगी यथार्थ है।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) :

नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय
देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै ।
नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यों
नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ॥

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष कर के अपने कम्युनिस्ट बन्धुओं की इस चीज़ को समझ सकता हूं कि जिन को राम के नाम से सम्भवतः शत्रुता हो सकती है । मैं ने आज तक अपने कम्युनिस्ट भाइयों के प्रति कभी भी ऊंगली उठाने का प्रयत्न नहीं किया, यह समझ कर कि साम्यवाद हमारे घर की ही वस्तु है । परन्तु बन्दर की तरह बन कर अगर पूंछ घिसघिस कर साम्यवाद बनता हो तो मैं समझता हूं कि हमारी समता एक जगह नहीं ठहर सकती । कभी दो मनुष्य संसार में एक जैसे नहीं हुए, दो मनुष्यों की बुद्धि कभी एक जैसी नहीं हुई, दो मनुष्यों के काम करने की शक्ति एक जैसी नहीं हुई । इसलिये हम डंडे के बल से, बैंड ऑफ़ मैफिस्टाफ़िलीज़ की तरह सब को छीलछाल कर समान बनाना, यह साम्य मृत्यु का ही साम्य कहलायेगा ।

मैं अब इस विषय पर और अधिक न कह कर के इस वेतन बिल के सम्बन्ध में बोलता हूं । मैं समझता हूं कि यह ऐसी वस्तु नहीं है कि जिस को मज़ाक से, बड़े हल्के तरीक़े से, कह दिया जाय, जैसे अभी यह कहा गया कि क्या काम करते हैं मिनिस्टर? मिनिस्टर के पास कौन सा काम है, सिवाय इस के कि दो चार बिल ले आयें । यह केवल मिनिस्टरों की योग्यता के ऊपर ही नहीं, मंत्रियों की योग्यता पर ही उंगली उठाना नहीं है बल्कि देश के सारे के सारे शासन प्रबन्ध को निकम्मा बताने का प्रयत्न करना है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक दृष्टिकोण से कुछ सुझाव देता हूं ।

यह निश्चित बात है कि वर्तमान जैसा खर्चा हम देखते हैं, उस ख़र्चे के अनुसार २२५० रुपये कुछ भी नहीं है और किसी साधारण से साधारण व्यक्ति का ख़र्चा जो दिल्ली में इन परिस्थितियों में रहता है जैसे हमें रहना पड़ता है और मिनिस्टरों के लिए, जो कर्तव्य पालन करने पड़ते हैं यह रकम कुछ भी नहीं है । लेकिन मैं तो केवल दृष्टिकोण में परिवर्तन चाहता हूं और वह है जैसा कि मैंने रामराज्य के एक श्लोक को पढ़ कर सुनाया :

अर्थ कामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते
धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥

अभी हम ने कल ही तो जनता के सामने उन से वोट प्राप्त करते समय एक प्रार्थना की थी और हमें आज भी और सदैव इस बात को स्मरण रखना चाहिये कि हम यहां सपकार में केवल जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए आये हैं, और किसी प्रकार का सुख भोगने के लिये नहीं आये हैं । मैं इस बात को मानता हूं और आज की परिस्थितियों को देखते हुए यह निश्चित बात है कि इतनी वस्तुओं के अन्दर हमारे मंत्रियों को कोई सुख प्राप्त नहीं होगा और यह भी ठीक है जैसा हमारे माननीय मित्र श्री हुक्म सिंह ने कहा कि प्रधान मंत्री महोदय इस विषय में एक आदर्श हो सकते हैं, क्योंकि एक तो वह विधुर हैं और फिर कोई उन के पढ़ाने लिखाने लायक सन्तान नहीं । ऐसे अगर दो, चार मंत्री भी हमें मिल जायं तो मैं समझता हूं कि हमारा बहुत सारा काम हल हो जायगा । मैं केवल अपने मंत्रियों के दृष्टिकोण म परिवर्तन देखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उन का वह स्वरूप भारतीय परम्परा और इतिहास

के अनुकूल हो। अगर आप अपने भारतीय इतिहास को देखें तो पायेंगे कि मंत्री लोगों का राज्य के खज़ाने से एक कौड़ी भी न लेने का नियम रहा है। चाणक्य का उदाहरण आप के सामने है। वह तो बहुत बाद के हैं, मैं आप को रामराज्य काल से आरम्भ करूं। गुरु वशिष्ठ जो राम, दशरथ, अज, रघु तथा दिलीप के राज्य मंत्री रहे, तो उन्होंने राज्य के खज़ाने से एक कौड़ी भी नहीं ली और वैसे ही वामदेव, सुमन्त आदि बिना राज से पैसा लिए राज्य का संचालन करते रहे और राज काज के कामों में मंत्रणा देते रहे। उन्होंने सब से उत्तम वृत्ति शिलोञ्छवृत्ति का आश्रय लिया। अब उस के आगे और बढ़िये, महाभारत काल में आप पायेंगे कि पांडवों के काका विदुर, जो स्वयं राज्य घराने से थे और जिन को राज्य के खज़ाने में से पैसा लेने का अधिकार भी था, मंत्री रहते हुए वह स्वयं जंगल में रहते थे और जंगल में रहकर जो कुछ रूखा सखा अन्न व फल आदि प्राप्त होता था, उस से अपना काम चालाते थे, लेकिन सरकारी खज़ाने से कोई पैसा नहीं लेते थे। उस के बाद चाणक्य का काल आता है। किस प्रकार उन्होंने सादगी के साथ अपना जीवन निर्वाह किया और राजा के मंत्री का कार्य करते हुए भी सरकारी खज़ाने से कोई पैसा नहीं लेते थे। कल सदन में चाणक्य का ज़िक्र आया जब हमारे एक बन्धु ने कौटिल्य शास्त्र का हवाला दिया। मैं निवेदन करूं कि कौटिल्य शास्त्र का पूरी तरह से परिज्ञान प्राप्त करना कठिन होगा। वह हमारे बन्धु कौटिल्य शास्त्र को सिर्फ तलाक़ के नाते जानते हैं दूसरा और कुछ नहीं जानते। उन को जब अवसर आयेगा मैं बतलाऊंगा कि कौटिल्य शास्त्र क्या है। कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से यह रक्खा है :

अमोक्षो धर्म विवाहानाम्।

कौटिल्य ने, कभी धर्म विवाह में मोक्ष (divorce) का नाम नहीं बतलाया, और मैं चाहता हूं कि जो कौटिल्य को इस बारे में कोट (quote) करें वह अच्छी तरह से देख भाल कर के कोट किया करें। मैं कौटिल्य अर्थ शास्त्र का उस समय का चित्र आप के सामने प्रस्तुत करूं कि जब यूनान देश का एक यात्री यहां घूमता हुआ आता है और पूछता है कि इतने बड़े साम्राज्य का प्रबन्ध करने वाला प्रधान मंत्री कहां रहता है, मैं उस का मकान देखना चाहता हूं, तो गली में घूमता हुआ एक बच्चा कहता है कि हमारा प्रधान मंत्री आप को महलों में नहीं मिलेगा और अभाग्यवश अगर वह महलों में रहना शुरू कर देगा तो उसी दिन से राज्य की प्रजा भूखों मरने लगेंगी, प्रजा के ऊपर टैक्सों की भरमार शुरू हो जायगी और राज्य में से सुख और शान्ति का अन्त हो जायगा। इसलिये वह कहता है कि चाणक्य आप को ऐसे स्थान में मिलेगा जहां

उपलशकलमेकं भेदमं गोमयानां
वटुभिरुपहृतानां बर्हिषां स्तोम एषः।

जहां यज्ञ के लिए उपले तोड़ने के लिए पत्थर का टुकड़ा पड़ा होगा और वहां वह आप को विद्यार्थियों द्वारा लाये हुए कुशा के घास फूंस के झोपड़े में बैठा हुआ अपने विद्यार्थियों को विद्या दान देता हुआ मिलेगा और वह पुरुष इतिहास का साक्षी है कि उसने विशाल भारतीय साम्राज्य का योग्यतापूवक संचालन किया और महाप्रतापी आर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त भी उस के सामने पीपल के पत्ते की तरह कांपते थे। भारतवर्ष के अतीत इतिहास से आंख मूंदने वाले सज्जन ज़रा इस की ओर ध्यान दें। यह कोई अमरीका या रूस की कथा नहीं

[उपाध्यक्ष महोदय]

है जिस के लिए हमारे मित्र कहते हैं कि दूसरे देशों की तरफ देखने से क्या फ़ायदा, हमें अपने देश की तरफ देखना चाहिये । मैं उन से निवेदन करूंगा कि वह ज़रा भारत के पीछे का भी इतिहास देखें तब उन्हें पता चल जायगा कि पहले हमारे पूर्वज कहां थे और आज हम कहां पहुंच गये हैं । यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि इस तथ्य को पहचानने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया और न ही उस से कोई शिक्षा ग्रहण करने का ।

जब मेरे परम धार्मिक माननीय गृह मंत्री डाक्टर काटजू ने ऐसा कहा कि हम मंत्री लोग कोई पीपल के पेड़ के नीचे तो बैठ कर जनता को रिसीव (receive) कर नहीं सकते, तो मुझे उन की यह बात चुभ गई, क्योंकि अगर किसी दूसरे के मुंह से यह बात सुनता तो शायद उतनी नहीं चुभती, क्योंकि उन के प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा है, धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं और आरम्भ से ही मेरे हृदय में उन के लिए बहुत श्रद्धा है । उन के मुंह से मुझे ऐसी बात सुन कर बड़ा दुःख हुआ । मैं कहता हूं कि आप दो, चार दिन के लिए ऐक्सपेरीमेंट (experiment) कर के देखें और दिल्ली नगरी में किसी एक जगह खड़े हो कर वह घोषणा कर दें कि मैं अमुक पीपल के वृक्ष के नीचे अमुक दिन बैठूंगा, और जिस किसी को कुछ कहना सुनना हो, अपना दुःख रोना हो, वह मुझ से उस स्थान पर मिल सकता है, तो आप देखेंगे कि चार दिन के भीतर दिल्ली की जनता आप के पीछे प्राण देने लगेगी और उन मंत्री महोदय को देवता समान पूजने लगेगी । इस में मुझे किसी प्रकार का सन्देह नहीं है । इसी तरह से मुझे यह कहना है कि जैसे हमारे प्रधान मंत्री पंडित नेहरू जिन का भोजन आदि रहन सहन मिनिस्टर के वेतन मात्र से नहीं चल सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि उनका ख़र्चा उससे कई गुना अधिक है, वह यदि आज यह कह दें कि मैं राज्य के ख़ज़ान से अपने लिए एक कौड़ी भी न लूंगा, तो मैं कहता हूं कि आज अकेले भारत ही नहीं सारा विश्व उन को देवता की तरह पूजना आरम्भ कर देगा । अभी कल ही की तो बात है, कि समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष डाक्टर पट्टाभि सीतारमैया ने एक वक्तव्य दिया है कि राज्यपाल के रूप में निरन्तर बार बार पार्टियां खाते खाते मैं ऊब गया हूं और वह कहते हैं कि उन पार्टियों में वही लोग बराबर आते हैं, और इसलिये कोई आनन्द भी नहीं आता । इस से अच्छा होगा कि जो लोग हम को पार्टी देना चाहते हैं वह दस, बीस, या पचास ग़रीबों को भोजन खिलायें तो वह ठीक होगा । यज्ञ हम इसलिये करते हैं । सोशलिज़्म (socialism) का सब से बड़ा सिद्धांत है यज्ञ करना । यज्ञ के द्वारा जितना भी धन इकट्ठा किया गया है, वह दीन-दुःखी लोगों में बांट दिया जाय, यही यज्ञ करने का सब से बड़ा सिद्धांत होता है । मैं और अधिक न कहते हुए सिर्फ़ यह कहना चाहूंगा कि अगर हम ख़र्च मात्र की दृष्टि से इस विषय को देखेंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह जो २२५० रुपया एक मंत्री के किए नियत किया गया है, वह बहुत कम और अपर्याप्त सिद्ध होगा और निश्चय ही उस को बढ़ाना पड़ेगा, आज नहीं बढ़ायेंगे तो कल बढ़ाना पड़ेगा । यह भी ईश्वर की कृपा है कि हमारे सौभाग्य से आज के मंत्रिगण अच्छी सद्भावना वाले हैं और अगर इसी प्रकार की भावना वाले मंत्री बने रहें, तब तो ठीक है, नहीं तो ऊपर की

आमदनी इन के पास भी आने लगेगी और बहुत मुसीबत बढ़ जायगी। अगर ऊपर की आमदनी यह लोग न लेना चाहें तो इतने खर्चे में उन के लिए ईमानदारी से काम चलाना कठिन हो जायगा। हां, यह अवश्य है कि अगर वह सज्जन उच्च भावना वाले हैं और जनता की सेवा करते हुए त्याग कर सकते हैं तो उन को स्वयं को एक आदर्श बन कर जनता के समक्ष रखना चाहिये और वह एक त्याग और आदर्श के दृष्टि-कोण से त्याग का जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करें, तो जनता पर भी उस का अनुकूल असर पड़ेगा। जैसा श्री गाडगिल ने कहा कि उन मंत्री लोगों को पिछले और आगे आने वाले चुनावों का खर्चा भी तो देखना है, अगर कहीं इस तरह हमारे मंत्रि-गण और संसद् सदस्य सोचने लगें कि उस खर्चे का भी हमें इंतजाम करना है, तो मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि देश और जनता का कल्याण सम्भव नहीं।

आज कोई गरीब आदमी चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता। किसी की शक्ति नहीं है कि वह लाखों रुपया खर्च करे। इस में कोई संदेह नहीं है कि क़ाग़ज पत्र पर कोई भले ही पांच छः हजार लिख दे लेकिन खर्च इस से बहुत ज्यादा होता है, और इसे कोई भी अपनी अक्ल से जान सकता है। अगर आप को इस सारे प्रपंच से छुटकारा पाना है तो आप को यहां के आकर्षण को मिटाना होगा। योग्य पुरुषों के मन की बात मैं नहीं कहता। और देशों में भी योग्यतम प्राणी वहां के दरिद्रतम प्राणी रहे हैं। प्रोफेसर एमैनुअल कांट तथा जर्मनी के दूसरे तत्व-वेता जसे व्यक्तियों का भी जो बड़े तत्वदर्शी माने गये हैं यही हाल रहा है। हम लोग चाहते हैं और हम न बड़े बड़े दार्शनिकों के जीवन देखे हैं उन से मालूम होता है कि उन का भोजन तक कैसा रहता था। कारण क्या है। जो देश का राष्ट्र का और विश्व का कल्याण चाहते हैं उन को अपने स्वार्थ का परित्याग करना पड़ता है और यही मैंने कहा :

"अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते।

—मनु"

जो लोग अर्थ नाम लक्ष्मी देवी को बटोरने में लगे हुए हैं और कामना यानी इच्छाओं और वासनाओं को पूरा करने में जो व्यक्ति लगा रहता है वह कभी भी संसार को भूल नहीं सकता। अपनी वासना और तृष्णा का त्याग कर के ही चलने वाला व्यक्ति दूसरों की सेवा में आगे बढ़ सकता है। और यही कारण है कि स्वर्गीय श्री गांधी जी ने कांग्रस के ऊपर अपना प्रभाव डाल कर पांच सौ रुपये तन्ख्वाह का प्रश्न खड़ा किया था। पांच सौ में उन को कुछ होता नहीं लेकिन यह तो एक उदाहरण के तौर पर था। उस के अन्दर केवल एक सिद्धान्त था कि आत्म बलिदान से और आत्म त्याग से ही दूसरों की सेवा हो सकती है। अपने स्वार्थ पर चिपके रहने से दूसरों की सेवा नहीं हो सकती, यही हमारा भाव है और इन्हीं विचारों से हम अपने सुझाव देते हैं कि समस्त मंत्रिमंडल इस को अच्छी तरह से सोचें और इस दृष्टिकोण से जो जो सज्जन अपने जीवन में परिवर्तन कर सकें, या स्वयं परि-वर्तन कर के दिखा दें, उन का मैं ही नहीं बल्कि सारा राष्ट्र धन्यवाद करेगा और स्वागत करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आज एक आध घन्टे की चर्चा भी होनी थी, परन्तु यह विधेयक अधूरा रह जाने के कारण उसे आगामी बृहस्पतिवार तक स्थगित रहना चाहिये। हम इस विधेयक को एक बजे तक समाप्त कर सकेंगे।

डा० काटजू : मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं।

वेतनों में कमी किए जाने के विषय में दोनों संशोधन प्रस्तुत हो कर अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ४—(मंत्रियों का निवासस्थान)

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) द्वारा दो संशोधन प्रस्तुत किए गए।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। परन्तु मुझे इस खंड में प्रयुक्त शब्द "fully" (पूर्णतः) पर आपत्ति है क्योंकि इस से मिथ्याबोध होने की आशंका है।

श्री क० के० बसु (डायमंड हार्बर) : यह तो ठीक है कि देहली जैसे स्थान में मंत्रियों के निवास की व्यवस्था सरकार द्वारा होनी चाहिए परन्तु उस के लिए उन से किराया लिया जाना चाहिए। लोग ऐसा समझने लगे हैं कि मंत्रियों का एक वर्ग विशेष सा बनता जा रहा है। वे आवश्यकता से बड़े मकानों में रह रहे हैं। एक में तो २८ कमरे बतलाए गए हैं। बड़े बड़े भवनों में रहने का विचार हमारी प्रवृत्तियों पर कुप्रभाव डालता है। इस से जन सेवा की भावनाओं का विकास नहीं होता।

डा० काटजू : मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। किराया सामान्यतः १० प्रतिशत के हिसाब से लिया जाता है, सुसज्जित मकानों के लिए २ १/२ प्रतिशत अधिक रहता है। अतः १२ १/२ प्रतिशत के हिसाब से २८३ रुपये प्रति मास होते हैं। इस पर आय-कर और अधिकर के रूप में अभागे मंत्री को सात आने प्रति रुपया देना पड़ता है, उस पर दसवां भाग अधिभार के रूप में लगता है और इस प्रकार लगभग ७ १/२ आना प्रति रुपया जा रहता है। अतः हमें यह मिथ्या धारणा नहीं बना लेनी चाहिए कि मंत्री लोग मुफत मकानों में रहते हैं और उन के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं।

कहा गया है कि मंत्रिगण बड़े बड़े भवनों में रहते हैं, परन्तु यह तो कुछ उन के बस की बात नहीं है। उन्हें जो भी मकान सरकार द्वारा दिए जायेंगे उन्हीं में उन्हें रहना होगा। यदि उन्हें छोटे मकान दे दिए जाएं तो वे उन में जा रहेंगे।

* * * *

जहां तक पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन का सम्बन्ध है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अर्थात :

पृष्ट १, पंक्ति ११, में से शब्द "fully" (पूर्णतः) निकाल दिया जाय।

श्री चौधरी द्वारा प्रस्तुत दोनों संशोधन अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड ५ को लेंगे। बाबू रामनारायण सिंह।

खंड ५—(भोज-भत्ता)

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, दस बारह मिनट बचे हैं। सभी लोग व्यग्र होंगे कि यह बिल जल्दी से पास हो जाय। इस पर वाद विवाद भी हो चुका है। इस विधेयक का अधिक विरोध भी नहीं हो रहा है यद्यपि होना चाहिये था। जिस समय गृह मंत्री जी इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे थे उस समय का भाषण तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि एक खेल हो रहा हो, एक अभिनय या नाटक हो रहा हो। उन का जो दूसरा भाषण हुआ उस के लिए मैं उन को बधाई दे सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सारा संसार नाटक है।

बाबू रामनारायण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस बात का सब को ज्ञान हो जाय तब तो शायद किसी से कोई अनर्थ होने ही न पावे।

बाबू रामनारायण सिंह : इसी तरह बात बढ़ा दी जाती है। लोग यह नहीं समझते कि जब कोई बात कही जाती हैं तो उस की भूमिका ज़रूर होती है। श्री ठाकुर दास भार्गव जी तो वकील हैं ही। जब अपना केस किसी के सामने रखते होंगे तो चुपके से अपनी बात नहीं कह देते होंगे भूमिका ज़रूर बांधते होंगे। इसलिये इन को इतना टेकनिकल नहीं होना चाहिये कि इसी पर बोलो। खैर मैं इसी पर बोलूंगा।

बात यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि वेतन तो मंत्रियों का मंजूर हो चुका, साढ़े बाईस सौ रुपया। किसी के मुंह से सुना कि यह लोग बहुत त्याग कर रहे हैं। त्याग किस बात का ? क्या उन की जागीर थी, क्या उन की अपनी सम्पत्ति हो चुकी थी ? यहां त्याग का तो प्रश्न नहीं है। अभी हमारे मित्र नन्द लाल जी ने हमारे सामने प्राचीन काल का आदर्श रखा ? हमारे देश में जब मुसलमान आ गये थे उस समय में भी औरंगजेब और नासिरुद्दीन बादशाह का आदर्श सामने है कि कोई कुरान लिख कर और उस को बेच कर खाता था कोई टोपी बना कर खाता था। और गांधी जी हमारे सामने हैं।

डा पी० एस० देशमुख (अमरावती पूर्व) : आई० सी० ऐस० लोग उस वक्त नहीं थे।

बाबू रामनारायण सिंह : इस समय आप आदर्श को छोड़ दें। अपने हृदय में न्याय भाव तो लाये। यह जो मंत्री हैं ...

उपाध्यक्ष महोदय : सम्पचुअरी ऐलाउंस (भोज-भत्ता) के बारे में कहिये।

बाबू रामनारायण सिंह : वही मैं कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि वेतन तो मिल ही चुका और पूर्णतया सुसज्जित महल भी मिल ही चुके अब यह जो सम्पचुअरी ऐलाउंस मिलता है यह क्यों मिलता है।

एक माननीय सदस्य : आप को खिलाने के लिये मिलता है।

बाबू रामनारायण सिंह : मेरे एक साथी ने कहा कि हम को खिलाने के लिये मिलता है। मैं सन् २६-२७ से इस सदन का सदस्य हूं। इन मंत्रियों के सम्पचुअरी

[बाबू रामनारायण सिंह]

एंलाउंस में से मुझे एक दिन भी हिस्सा नहीं मिला। तो यह अगर खिलाते भी हैं तो किस को खिलाते हैं। शायद अपने हित मित्रों को खिलाते होंगे और जो उन के अनुकूल बोलते होंगे उनको कभी खिलाते होंगे। तो अध्यक्ष महोदय मेरे कहने का मतलब यह है कि यह पास तो हो ही जायेगा। कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं वह कह रहा था कि आप आदर्श को छोड़िये। आप अपने दिल में न्यायभाव को रखिये। न्याय के साथ विचारिये। यह वेतन, यह महल, इस तरह का भाषण और यह सब रूप रंग सुखी भारत के लिए तो शोभा देता है लेकिन जिस समय हमारे देश में हाहाकार मचा हुआ है उस समय जो आप यह काम करते हैं और अगर आप एक पैसे का भी खर्च लाते हैं तो उस के लिए आप को देखना पड़ेगा। हमारे मंत्री लोग क्या हैं।

डा० काटजू : सेवक।

बाबू रामनारायण सिंह : वह तो जरूर कहेंगे कि वह देश के सेवक हैं। अगर वह देश के सेवक हैं तो उन का मालिक कौन है ? जनता। जनता के लिए उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि हमारे देश में करीब ९० प्रति शत लोग ऐसे हैं जिन को दोनों जून भोजन नहीं मिलता।

डा० काटजू : हम भी कल से एक ही वक्त खाना खायेंगे।

बाबू रामनारायण सिंह : यदि ऐसी बात हो तो वह बड़ी खुशी की बात है। प्रश्न यह है कि हमारा मंत्री मंडल कैसा है। ये लोग अपने को देशभक्त और देश सेवक कहते हैं। जनता जनार्दन इन की मालिक है। वह भूखों मरे और यह मौज करें। यह न्याय भाव कहां है वह अपने हृदय से पूछें।

इस के साथ साथ मैं एक बात और कहे देता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। वह यह है। ये देश भक्त है, देश की सेवा करने के लिए आये हैं, देश का काम करने के लिये आये हैं। उनका दावा ठीक हो सकता है कि उनकी परवरिश होनी चाहिये। लेकिन देश का काम करने में यह मौज करें यह तो शोभा नहीं देता है। हमारे डाक्टर काटजू साहब ने कहा, गरीब मिनिस्टर लोग। यह कहने में तो उनको संकोच होना चाहिये। कहा जाता है कि इससे कम कैसे काम चलेगा ? बहुत ठीक है।

एक दफा हमारे भाई ठाकुर दास जी जब कि हम ५०० की बातें करते थे तो इन्होंने कहा था कि ५०० में कैसे काम चलेगा ? तो मैंने उस वक्त कहा था कि ५०० में कैसे चलेगा, इसके लिये सारा देश गुरु बन कर बैठा हुआ है। एक गुरु नहीं, दस गुरु नहीं, दस लाख गुरु नहीं, सारा देश गुरु बन कर बैठा हुआ है कि ५०० माहवारी वेतन में कैसे चलेगा। अभी इस वक्त २२५० रुपये वेतन हो गया, सुसज्जित भवन भी हो गया। उस के ऊपर यह जो सम्पचुअरी ऐलाउन्स है यह तो घोर अन्याय है। इस के लिये तो मैं कहूंगा कि आप लोगों में इतनी दया हो, दया तो दूर रही इतना न्याय भाव हो, इतनी ईमानदारी हो कि यह सम्पचुअरी ऐलाउन्स न रखें। आतिथ्य सेवा के लिये आप को जो मिलता है, आप की जो आमदनी है, उसी से आपको अगर अपने अतिथि की पूजा करनी है तो अपने भोजन से, अपने वेतन से आप उनकी पूजा कीजिये। उस के लिये देश सम्पचुअरी ऐलाउन्स भी दे, यह तो बिल्कुल अन्याय की बात है। यह किसी हालत में नहीं होना चाहिये।

मैं जानता हूं कि सभी भाइयों के हृदय में न्याय भाव है और सब के हृदय में

ईश्वर भी बैठा हुआ है। उन के हृदय में बैठे हुए ईश्वर से मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो कोई काम करो और खास कर जब ऐसे अवसर पर काम करो तो जरा उस ईश्वर का ध्यान कर के, न्याय भाव ला कर के काम करना चाहिये। मैं कहूंगा कि चाहे तो यह चीज़ वापस ले लें नहीं तो जो यह धारा है इस को सब कोई मिल कर के रद्द कीजिये। आपको याद रखना चाहिये कि ऐसी ऐसी धारायें हम लोगों की देशभक्ति पर, हमारी न्याय की भावना पर कलंक के टीके के तौर पर रहेंगी जो सब तरह से देश को बरबाद करती हैं। आप के पास सब कुछ तो है ही। फिर आप किसी को एक गिलास पानी पिलावें तो एक पैसा ले लें, सोडा वाटर पिलावें तो चार आने इस का क्या हिसाब किताब है ?

तो यह तो किसी भी हालत में पास नही होना चाहिये। इसलिये मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि अपने परमात्मा को साक्षी रख कर वोट दें और यह नहीं कि जनता को लूट लूट कर खाते जावो।

डा० काटजू: मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

"खंड ५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ५ को विधयक का अंग बना लिया गया।

खंड ६—(यात्रा तथा दैनिक भत्ता।)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

"**खंड** ६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ६ को विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ७—(चिकित्सा इत्यादि)

इस प्रक्रम पर पंडित ठाकुर दास ने बतलाया कि उक्त खंड पर उनका एक संशोधन है, अर्थात् यह कि पृष्ट २, पंक्ति ६ में "चिकित्सा" शब्द के पश्चात् "जो भारत में प्राप्य हो" शब्द जोड़ दिय जाएं। डा० काटजू ने इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया, अतः माननीय सदस्य ने इसे वापस ले लिया। श्री के० के० बसु ने भी इसी प्रकार अपना इस आशय का संशोधन कि पृष्ठ २, पंक्ति ५. में "परिवार" शब्द के पीछे "जिस में स्त्री, निर्भर माता पिता तथा बच्चे सम्मिलित हैं" शब्द जोड़ दिए जाएं प्रस्तुत करना चाहा परन्तु गृह-कार्य मंत्री के विरोध पर उसे वापस ले लिया।

तत्पश्चात खंड ७ से १३ विधयक का अंग बना लिये गए।

डा० काटजू: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक शुक्रवार १ अगस्त, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

———